



वार्षिक लेखा 2023 - 2024



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, एनएएससी कॉम्प्लेक्स के पास,
टोडापुर गांव के सामने, नई दिल्ली -110 012

www.plantauthority.gov.in



वार्षिक लेखा

2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

प्लांट अथॉरिटी भवन, डीपीएस मार्ग, नयी दिल्ली -110012

www.plantauthority.gov.in

वार्षिक लेखा 2023-24

विषय-सूची		
क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	तुलन-पत्र	1
2.	आय और व्यय का लेखा	2
3.	प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा	3-4
4.	तुलन-पत्र की अनुसूचियां (अनुसूची 1 से 11)	5-12
5.	आय और व्यय लेखों की अनुसूचियां (अनुसूची 12 से 23)	13-18
6.	प्रमुख लेखा नीतियां (अनुसूची 24)	19-23
7.	आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 25)	24-29
8.	पूर्व अवधि समायोजन लेखा (अनुबंध क)	30
9.	विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध ख)	31-36
10.	नए डीयूएस केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध ग)	37-40
11.	संदर्भ प्रयोगशालाओं के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध घ)	41
12.	जीन बैंक तथा फील्ड जीन बैंक को के पास उपलब्ध राशि का विवरण (अनुबंध ङ.)	42
13.	प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्र को जारी अनुदान का विवरण (अनुबंध-च)	43-49
14.	बाहरी विभागों को अग्रिम (अनुबंध छ)	50
15.	अदा की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध ज)	51
16.	अन्य प्रेषण (अनुबंध झ)	52
17.	स्टाफ को अग्रिम (अनुबंध ञ)	53
18.	तुलन-पत्र –सामान्य भविष्य निधि खाता	54
19.	आय और व्यय का लेखा –सामान्य भविष्य निधि खाता	55
20.	प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा –सामान्य भविष्य निधि खाता	56
21.	प्रमुख लेखा नीतियां व लेखों पर टिप्पणियां –सामान्य भविष्य निधि खाता	57
22.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं प्रबंधकीय उत्तर	58-62

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

राशि रुपये में

कोष/पूंजी निधि तथा देयताएं	अनुसूची	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कोष/पूंजी निधि	1	2,27,40,05,801	2,02,85,07,365
संचय और अधिशेष	2	-	-
चिन्हित/स्थायी निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान	7	29,05,28,167	26,80,09,393
कुल		2,56,45,33,968	2,29,65,16,758
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	8(क)	3,30,84,308	2,94,80,218
घटाएं : संचयित मूल्यह्रास		2,68,78,538	2,48,18,895
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां		62,05,770	46,61,323
पूंजीगत चालू कार्य	8(ख)	1,25,23,85,787	1,21,25,65,799
निवेश — चिन्हित/स्थायी निधियों से	9	-	-
निवेश — अन्य	10	89,68,00,219	77,44,35,705
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	11	40,91,42,192	30,48,53,931
विभिन्न व्यय (जिस सीमा तक अपलिखित न किया गया हो या समायोजित न किया गया हो)		-	-
कुल		2,56,45,33,968	2,29,65,16,758
प्रमुख लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 20 जून, 2024

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रुपये में

आय	अनुसूची	प्राधिकरण निधि		जीन निधि	
		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्री/सेवाओं से हुई आय	12	-	-	-	-
अनुदान/अनुवर्ती	13	28,35,88,133	39,02,25,079	3,00,00,000	2,00,00,000
शुल्क/चंदा	14	3,42,45,963	1,88,22,800	2,90,88,901	1,04,53,471
निवेशों से हुई आय	15	3,16,18,539	2,23,05,051	2,67,72,348	1,89,06,834
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से हुई आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	29,19,752	36,35,963	16,439	1,82,556
अन्य आय	18	1,64,50,086	3,20,641	34,96,515	-
तैयार माल और चालू कार्य के स्टॉक में वृद्धि (गिरावट)	19	-	-	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध क)		3,17,61,609	12,05,600	3,03,24,266	10,000
कुल (क)		40,05,84,082	43,65,15,134	11,96,98,469	4,95,52,861
व्यय					
स्थापना व्यय	20	3,81,48,313	3,86,42,926	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	7,98,21,388	20,81,71,204	1,14,57,857	3,69,832
अनुदान/अनुवर्ती आदि पर हुआ व्यय	22	16,20,62,738	14,90,14,678	-	-
ब्याज	23	13,86,761	12,33,478	-	-
मृत्युद्वार/परिशोधन मृत्यु हानि सहित (अनुसूची 8 से सम्बद्ध वर्ष के अंत में निवल योग)		20,59,643	9,42,917	-	-
पूर्व समय समायोजन लेखा (अनुबंध-क)		2,91,87,931	63,72,454	67,970	14,34,911
कुल (ख)		31,26,66,774	40,43,77,657	1,15,25,827	18,04,743
शेष आय का व्यय पर आधिक्य (क-ख)		8,79,17,308	3,21,37,477	10,81,72,642	4,77,48,118
विशेष आरक्षित निधि में हस्तांतरण (प्रत्येक को अलग-अलग बताएं)		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधि को/से हस्तांतरण		-	-	-	-
कोष/पूँजी निधि तक ले जाई गई अधिशेष राशि (घाटा) का शेष		8,79,17,308	3,21,37,477	10,81,72,642	4,77,48,118
प्रमुख लेखा नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25				

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्र

त्रिलोचन महापात्र
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 20 जून, 2024

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां	राशि रुपये में		भुगतान		
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1. प्रारंभिक शेष			1. व्यय		
क) अग्रदाय (रोकड़ शेष)			क) स्थापना व्यय	2,31,85,025	2,32,25,041
पालमपुर शाखा	11,842	841	ख) प्रशासनिक व्यय (प्रोजेक्ट सहित)	8,19,18,851	16,79,14,506
रांची शाखा	673	-			
गुवाहाटी शाखा	1,458	-	2. निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान		
			क) विद्यमान डीयूएस केन्द्र (अनुबंध-ख)	8,77,57,642	8,49,25,974
			ख) नया डीयूएस केन्द्र (अनुबंध-ग)	2,96,64,902	2,83,15,185
ख) बैंक शेष			ग) फील्ड जिन बैंक (अनुबंध-ड.)	28,94,858	30,10,629
I चालू खाते में					
भारतीय स्टेट बैंक	11,62,153	5,94,560	3. अचल सम्पत्तियों व चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय		
भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	2,09,95,351	2,03,93,594	क) स्थायी परिसम्पत्ति की खरीद (प्राधिकरण)	14,50,227	4,36,165
भारतीय स्टेट बैंक पालमपुर शाखा	16,758	33,771	ख) चालू पूंजीगत कार्य	-	2,16,79,118
II जमा खातों में			4. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को भवन निर्माण के लिए दिए गए अग्रिम	2,09,85,093	3,01,44,000
भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	7,50,00,000	7,69,75,000	सॉफ्टवेयर - आईएएसआरआई	2,55,543	-
केनरा बैंक (जीन निधि)	15,93,43,786	12,50,42,176			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (जीन निधि)	12,12,31,037	10,12,46,700	5. प्रशिक्षण केन्द्रों को जारी अनुदान (अनुबंध-च)	33,75,003	14,70,000
केनरा बैंक (प्राधिकरण)	25,39,56,570	21,36,12,151			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्राधिकरण)	16,71,04,312	18,88,08,444	6. बाहरी विभागों को अग्रिम (अनुबंध छ)	44,93,697	46,45,698
भारतीय स्टेट बैंक (प्राधिकरण)	-	22,57,000			
			7. व्याज का भुगतान भारत की संचित निधि	11,78,608	20,79,288
III बचत खातों में					
केनरा बैंक	3,68,25,577	1,86,68,834	8. जीन निधि में योगदान	3,00,00,000	2,00,00,000
भारतीय स्टेट बैंक गुवाहाटी शाखा	1,42,396	1,17,612			
भारतीय स्टेट बैंक रांची शाखा	1,28,540	1,10,834	9. शुल्क की वापसी/अंशदान/अन्य आय		
केनरा बैंक शिवमोगा शाखा	5,16,526	7,06,593	आवेदन/पंजीकरण/डीयूएस/वार्षिक नवीनीकरण/पीवी शुल्क की वापसी	1,20,200	1,17,500
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे शाखा	1,40,540	1,19,963			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14,14,411	37,202	10. आईटीपीजीआरएफए को योगदान	1,06,72,684	3,73,47,214.00
2. भारत सरकार ने प्राप्त अनुदान	38,52,03,851	44,59,77,233	11. अन्य पूर्वावधि समायोजन खाता	2,39,27,935	65,91,765
3. बैंक से प्राप्त व्याज (अर्जित व्याज सहित)	3,47,17,640	2,50,92,985	12. पीपीवी एफआरए के कर्मचारियों को अग्रिम (अनुबंध- ज)	10,46,797	23,89,310
4. संदर्भ किस्मों के अनुरक्षण से अनुदान की वापसी (अनुबंध-बे)	16,47,746	67,065	13. सुरक्षा जमा की वापसी	60,000	-
5. प्रशिक्षण केन्द्रों से अनुदान की वापसी (अनुबंध-च)	3,32,309	6,26,104	14. भुगतान की गई वैधानिक देयताएं (अनुबंध-ज)	1,23,52,807	2,42,45,843

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

राशि रुपये में

प्राप्तियां	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
6. डीयूएस दिशानिर्देशों के विकास के लिए अनुदान की वापसी (नया डीयूएस केन्द्र) (अनुबंध-ग)	1,05,485	11,25,000	15. अन्य प्रेषण (अनुबंध-झ)	1,06,276	1,65,604
7. कर्मचारियों से अग्रिम की वापसी (ज)	3,05,708	5,46,747	16. अंत शेष		
8. अवर्गीकृत प्राप्तियां / पार्टियों से प्राप्तियां	-	2,26,01,358	क) अग्रदाय (रोकड़ शेष)		
9. शुल्क/अंशदान/अन्य आय			शिवमोगा शाखा	957	-
आवेदन/पंजीकरण शुल्क	90,79,000	40,89,800	पालमपुर शाखा	1,066	11,842
पीवी अंशदान शुल्क	26,25,500	20,98,500	रांची शाखा	2,514	673
वार्षिक शुल्क (बीजों की बिक्री से प्राप्त हिस्से सहित) - जीन निधि	2,25,08,869	1,03,75,705	गुवाहाटी शाखा	1,458	1,458
डीयूएस परीक्षण शुल्क	83,54,150	57,72,000	ख) बैंक शेष		
अन्य आय (पूर्वावधि सहित)	1,99,29,631	-	I चालू खातों में		
वार्षिक नवीकरण शुल्क	91,23,313	70,62,000	भारतीय स्टेट बैंक	29,69,417	11,62,153
पुराने समाचार-पत्रों, स्कैप की बिक्री	630	-	भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	2,44,434	2,09,95,351
10. प्राधिकरण निधि से योगदान	3,00,00,000	2,00,00,000	भारतीय स्टेट बैंक पालमपुर शाखा	2,256	16,758
11. टाटा पावर से वापसी	15,24,729	-	II जमा खातों में		
12. आयकर विभाग से वापसी (ब्याज सहित)	21,08,320	25,35,000	भारतीय स्टेट बैंक (जीन निधि)	10,50,00,000	7,50,00,000
13. जीपीएफ से अधिशेष	7,20,496	-	केनरा बैंक (जीन निधि)	21,25,32,883	15,93,43,786
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया -जीन निधि	12,57,14,917	12,12,31,037
			केनरा बैंक (प्राधिकरण)	37,39,82,973	25,39,56,570
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - प्राधिकरण	10,95,69,446	16,71,04,312
			III बचत खातों में		
			केनरा बैंक	8,13,69,856	3,68,25,577
			भारतीय स्टेट बैंक गुवाहाटी शाखा	1,46,289	1,42,396
			भारतीय स्टेट बैंक रांची शाखा	27,923	1,28,540
			केनरा बैंक शिवमोगा शाखा	3,64,985	5,16,526
			बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे शाखा	1,47,392	1,40,540
			आईसीआईसीआई बैंक	35,707	-
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,87,18,686	14,14,411
कुल	1,36,62,79,307	1,29,66,94,772	कुल	1,36,62,79,307	1,29,66,94,772

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 20 जून, 2024

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को तुलन-पत्र के एक भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 1 - कोष/ पूंजी निधि	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
क) प्राधिकरण निधि				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	47,04,03,261		43,78,29,619	
जोड़ें : अचल सम्पत्ति के लिए प्रयुक्त निधि	36,04,090		4,36,165	
जोड़ें : जीपीएफ से अधिशेष	7,75,366		-	
जोड़ें (घटाएं) : आय तथा व्यय लेखों से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	8,79,17,308	56,27,00,025	3,21,37,477	47,04,03,261
पूंजीगत अनुदान				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	1,19,63,90,000		1,16,49,90,000	
जोड़ें : वर्ष के दौरान जमा	4,50,29,030	1,24,14,19,030	3,14,00,000	1,19,63,90,000
ख) जीन निधि				
वर्ष के आरंभ के अनुसार शेष राशि	36,17,14,104		31,39,65,986	
जोड़ें (घटाएं) : आय तथा व्यय लेखों से हस्तांतरित निवल आय (व्यय) की शेष राशि	10,81,72,642	46,98,86,746	4,77,48,118	36,17,14,104
वर्ष के अंत में शेष		2,27,40,05,801		2,02,85,07,365

राशि रुपये में

अनुसूची 2: आरक्षित तथा अधिशेष	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
1. पूंजी संचय		-		-
2. पुनर्मूल्यांकन संचय		-		-
3. विशेष संचय		-		-
4. सामान्य संचय		-		-
कुल		-		-

विपिन त्यागी
विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 3 - चिह्नित आय/स्थायी निधि	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	-		-	
ख. वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
कुल (क+ख)		-		-
ग. निधियों के उद्देश्य के प्रति उपयोग/व्यय				
1. पूंजी व्यय	-		-	
2. राजस्व व्यय	-	-	-	-
कुल (ग)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)		-		-

राशि रुपये में

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
1. केन्द्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार		-		-
3. वित्तीय संस्थान		-		-
4. बैंक		-		-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां		-		-
6. ऋण पत्र और बॉण्ड्स		-		-
7. अन्य		-		-
कुल		-		-

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 5- असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक	-	-
5. अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	-
6. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
कुल	.	.

राशि रुपये में

अनुसूची 6- आस्थगित ऋण देयताएं	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क. पूंजी उपकरण और अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति	-	-
ख. अन्य	-	-
कुल	.	.

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 7- चालू दायित्व एवं प्रावधान	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
क. चालू दायित्व				
1. स्वीकृतियाँ	-		-	
2. विविध लेनदारी				
क. माल के लिए	-		-	
ख. अन्य के लिए	66,38,148		69,74,368	
ग. स्टाफ के लिए				
बकाया वेतन	34,03,705	1,00,41,853	22,31,419	92,05,787
3. अग्रिम प्राप्ति				
आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क के लिए अग्रिम	8,000		-	
निविदा के विरुद्ध प्रतिभूति	-	8,000	60,000	60,000
4. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं				
क. सुरक्षित ऋण/उधारियाँ	-		-	
ख. असुरक्षित ऋण/उधारियाँ	-		-	
5. वैधानिक देयताएं				
क. अतिदेय	-		-	
ख. अन्य के लिए	-		-	
वस्तु एवं सेवा कर देय	2,39,457		1,106	
स्रोत पर काटा गया कर	3,50,812		4,92,101	
नई पेंशन योजना	2,016		4,79,191	
लाइसेंस शुल्क	21,352		21,748	
जीपीएफ	-		1,06,085	
सीजीएचएस	45,050		3,000	
सीजीईजीआईएस	2,840		3,740	
		6,61,527		11,06,971
6. अन्य चालू दायित्व				
अप्रयुक्त वापसी योग्य अनुदान	7,86,98,572		2,57,15,974	
परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	16,021		14,36,086	
जी.पी.एफ. निधि लेखा	-		54,870	
भारत की समेकित निधि को देय अनुदान पर अर्जित ब्याज	13,86,761		11,78,608	
एल एस एवं पीसी	17,41,870		14,79,973	
अवर्गीकृत प्राप्तियाँ (प्राधिकरण/जीन निधि)	-	8,18,43,224	4,55,58,858	7,54,24,369
कुल (क)		9,25,54,604		8,57,97,127
ख. प्रावधान				
1. उपादान	91,06,518		75,63,282	
2. संचित छुट्टी नकदीकरण	1,02,41,862		84,16,764	
3. विभिन्न केन्द्रों को अदा किए गए अनुदान पर व्यय	15,88,64,222		14,44,97,316	
4. प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम पर व्यय	1,97,60,961	19,79,73,563	2,17,34,904	18,22,12,266
कुल (ख)		19,79,73,563		18,22,12,266
कुल (क + ख)		29,05,28,167		26,80,09,393

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डॉ. के. अग्रवाल

डॉ. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

पीवा फिन्स और बुकक अधिकार संलक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को पुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 8- अचल सम्पत्ति और पूंजीगत बाहु कार्य		सकल ब्लॉक					संचयी मूल्यदास / परिशोधन			निवल ब्लॉक	
विवरण	विवरण	1 अप्रैल 2023 को लागत/मूल्यंकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च 2024 को लागत/मूल्यंकन	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान मूल्यदास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौती	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क. अचल सम्पत्ति											
1 भूमि											
क. पूर्णस्वामित्व		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टे पर		30	-	-	30	12	1	-	13	17	18
2 भवन											
क. पूर्णस्वामित्व भूमि पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख. पट्टा भूमि पर		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व फ्लैट/परिवार		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. भूमि पर अधिरचना जो इकाई से संबंधित नहीं है		13,91,182	-	-	13,91,182	9,74,709	41,647	-	10,16,356	3,74,826	4,16,473
3 संयंत्र मशीनरी व उपकरण		32,71,835	-	-	32,71,835	27,52,771	77,860	-	28,30,631	4,41,204	5,19,064
4 वाहन		6,88,822	15,554	-	7,04,376	3,56,220	52,223	-	4,08,443	2,95,933	3,32,602
5 फर्नीचर और फिक्सचर्स आदि		46,24,060	89,250	-	47,13,310	30,19,356	2,06,520	-	32,25,876	14,87,434	16,04,704
6 कार्यालय उपकरण आदि		23,87,428	2,72,897	-	26,60,325	11,31,677	2,15,044	-	13,46,721	13,13,604	12,55,751
7 कम्प्यूटर (हार्ड उपकरण) आदि		1,36,73,495	10,72,526	-	1,47,46,021	1,31,82,541	5,82,406	-	1,37,64,947	9,81,074	4,90,954
8 पुस्तकालय पुस्तकें		24,18,678	-	-	24,18,678	24,15,227	1,380	-	24,16,607	2,071	3,451
9 अन्य अचल सम्पत्तियां (सॉफ्टवेयर सीडी आदि)		9,80,988	21,53,863	-	31,34,851	9,71,360	8,75,392	-	18,46,752	12,88,099	9,628
10 व्यापार बिड		43,700	-	-	43,700	15,022	7,170	-	22,192	21,508	28,678
कुल		2,94,80,218	36,04,090	-	3,30,84,308	2,48,18,895	20,59,643	-	2,68,78,538	62,05,770	46,61,323
पिछले वर्ष		2,91,23,053	4,36,165	79,000	2,94,80,218	2,39,48,835	9,42,917	72,857	2,48,18,895	46,61,323	51,74,218
ख पूंजीगत बाहु कार्य											
पूंजीगत बाहु कार्य - भवन		1,21,18,00,449	3,53,85,205	-	1,24,71,85,654	-	-	-	-	-	-
पूंजीगत बाहु कार्य - बैसाइट		-	52,00,133	-	52,00,133	-	-	-	-	52,00,133	1,21,18,00,449
पूंजीगत बाहु कार्य - सॉफ्टवेयर		7,65,350	13,88,513	21,53,863	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान वर्ष का कुल		1,21,25,65,799	4,19,73,851	21,53,863	1,25,23,85,787	-	-	-	-	1,25,23,85,787	1,21,25,65,799
पिछले वर्ष		1,05,99,68,279	15,25,97,520	-	1,21,25,65,799	-	-	-	-	1,21,25,65,799	1,05,99,68,279

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी

वित्तीय सलाहकार

विपिन त्यागी

डी. के. अग्रवाल

महा-पंजीकार

विपिन त्यागी

त्रिलोचन महापात्रा

अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 9- निवेश-चिन्हित/स्थायी निधि से	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य - विनिर्दिष्ट किया जाए	-	-
कुल	-	-

राशि रुपये में

अनुसूची 10- निवेश-अन्य	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण पत्र और बॉण्ड्स	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य	-	-
बैंक के पास स्थायी जमा जिसकी परिपक्वता की मूल अवधि एक वर्ष से अधिक है		
— यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	23,52,84,363	28,83,35,349
— भारतीय स्टेट बैंक	7,50,00,000	7,50,00,000
— केनरा बैंक	58,65,15,856	41,11,00,356
कुल	89,68,00,219	77,44,35,705

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 11- चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
1. चालू सम्पत्तियां				
1. माल				
क. भंडार एवं पुर्जे	1,28,848		1,79,760	
ख स्टेशनरी	1,39,011		1,56,907	
ग. बिक्री के लिए माल	-	2,67,859	-	3,36,667
2. विविध देनदार		-		-
3. हस्तगत रोकड़ शेष (चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय/स्टैम्प सहित)				
अग्रदाय				
गुवाहाटी	1,458		1,458	
रांची	2,514		673	
शिवमोगा	957		-	
पालमपुर	1,066	5,995	11,842	13,973
4. हस्तगत डाक टिकट		85,296		1,73,221
5. बैंक शेष				
क) अनुसूचित बैंक के पास				
चालू खातों पर				
प्राधिकरण निधि -एसबीआई	29,69,417		11,62,153	
एसबीआई -पालमपुर	2,256		16,758	
जीन निधि - एसबीआई	2,44,434	32,16,107	2,09,95,350	2,21,74,261
	-		-	
जमा खातों पर				
प्राधिकरण निधि -सावधि जमा केनरा बैंक		-		22,00,000
जीन निधि - सावधि जमा एसबीआई		3,00,00,000		-
बचत खातों पर				
केनरा बैंक - प्राधिकरण	8,13,69,856		3,61,05,081	
एसबीआई - गुवाहाटी	1,46,289		1,42,396	
एसबीआई - रांची	27,923		1,28,540	
केनरा बैंक - शिवमोगा	3,64,985		5,16,526	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया - प्राधिकरण	1,87,18,686		14,14,411	
आईसीआईसीआई बैंक (प्राधिकरण)	35,707		-	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र - पुणे	1,47,392	10,08,10,838	1,40,540	3,84,47,495
ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित				
चालू खाते पर	-		-	
जमा खाते पर	-		-	
बचत खाते पर	-	-	-	-
कुल (क)		13,43,86,095		6,33,45,617

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 11- चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
ख. ऋण अग्रिम एवं अन्य सम्पत्तियाँ				
1. ऋण				
क. स्टाफ	7,649		15,368	
ख. अन्य	-	7,649	-	15,368
2. अग्रिम और अन्य राशि जो नकद या वस्तु के रूप में या वसूली योग्य है				
क. पूंजीगत खाते पर				
प्लान्ट अथॉरिटी भवन के निर्माण के लिए अग्रिम	95,35,744		-	
वेबसाइट के विकास के लिए अग्रिम	12,14,267		64,14,400	
सॉफ्टवेयर के विकास के लिए अग्रिम	-	1,07,50,011	10,59,958	74,74,358
ख. पूर्व भुगतान				
पूर्वदत्त व्यय	29,022		33,138	
डीयूएस परीक्षण शुल्क के लिए जारी अनुदान	15,98,534		15,98,534	
प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए जारी अनुदान	2,45,20,560		2,72,98,134	
बाहरी विभागों के लिए अग्रिम	17,25,580		23,86,150	
नए डीयूएस केन्द्र को जारी अनुदान	3,50,55,212		4,24,55,036	
वर्तमान डीयूएस केन्द्रों को जारी अनुदान	14,18,12,744		11,53,71,142	
फील्ड जीन बैंक को जारी अनुदान	31,45,021		43,88,090	
कृषक किस्मों के लक्षण विवरण व पंजीकरण को जारी अनुदान	21,15,208		-	
संदर्भ प्रयोगशालाओं को जारी अनुदान	49,714		49,714	
बीज बैंक की नई स्थापना के लिए जारी अनुदान	9,41,078	21,09,92,673	10,83,782	19,46,63,720
ग. अन्य				
आय कर वसूली योग्य (प्राधिकरण व जीन निधि)	71,784		23,60,085	
सीपीएफ प्राप्य	45,000		45,000	
प्रतिभूति जमा - टाटा पावर	55,57,500		55,57,500	
प्रतिभूति जमा - एमटीएनएल	1,000		1,000	
प्रतिभूति जमा - लोक निर्माण विभाग	3,00,000		-	
		59,75,284		79,63,585
3. उपार्जित आय				
क. चिन्हित /स्थायी निधि से निवेश पर	-		-	
ख. निवेश पर - अन्य	-		-	
-भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक में सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज	2,60,28,463		1,43,01,144	
-भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज - जीन निधि	1,86,64,583		1,50,51,739	
ग. ऋण तथा अग्रिम पर	-		-	
घ. अन्य	-		-	
-बचत खातों पर अर्जित ब्याज	3,92,995		122	
-सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज (प्राधिकरण)	-		1,06,278	
-सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज (जीन निधि)	16,439		-	
-वार्षिक शुल्क वसूली योग्य (जीन निधि)	19,28,000	4,70,30,480	19,32,000	3,13,91,283
कुल (ख)		27,47,56,097		24,15,08,314
कुल (क+ख)		40,91,42,192		30,48,53,931

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 12. बिक्री/सेवाओं से आय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1. बिक्री से आय	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
कुल	-	-

राशि रुपये में

अनुसूची 13 - अनुदान/अनुवर्ती - प्राधिकरण निधि	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
केन्द्र सरकार	41,09,19,825	44,77,77,218
घटाएं- वापसी योग्य अप्रयुक्त अनुदान	7,86,98,572	2,57,15,974
घटाएं- अचल संपत्ति के लिए उपयोग की गई निधि	36,04,090	4,36,165
घटाएं- पूंजीगत अनुदान में स्थानांतरण	4,50,29,030	28,35,88,133
		3,14,00,000
		39,02,25,079
राज्य सरकार	-	-
सरकारी एजेंसियां	-	-
संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
अन्य	-	-
कुल	28,35,88,133	39,02,25,079
अनुदान/अनुवर्ती (जीन निधि)		
प्राधिकरण निधि से योगदान	3,00,00,000	2,00,00,000
कुल	3,00,00,000	2,00,00,000

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची-14- शुल्क/अंशदान (प्राधिकरण निधि)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
डीयूएस परीक्षण शुल्क	1,01,54,150	57,24,500
प्रवेश शुल्क/आवेदन शुल्क	1,05,69,000	40,67,800
अंशदान/पी वी शुल्क	26,85,500	20,68,500
वार्षिक नवीकरण शुल्क	1,08,37,313	69,62,000
कुल	3,42,45,963	1,88,22,800
शुल्क/अंशदान (जीन निधि)		
बीज की बिक्री से हिस्सा / रॉयल्टी	2,49,99,221	82,48,651
वार्षिक शुल्क	40,89,680	22,02,820
अन्य	-	2,000
कुल	2,90,88,901	1,04,53,471

राशि रुपये में

अनुसूची 15. निवेश से आय	चिन्हित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बॉण्ड/ऋण पत्र	-	-	-	-
ग. सावधि जमा पर	-	-	3,16,18,539	2,23,05,051
2. लाभांश				
क. अंशों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	3,16,18,539	2,23,05,051
चिन्हित/स्थायी निधियों को हस्तांतरित	-	-		
जीन निधि				
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बॉण्ड/ऋण पत्र	-	-	-	-
ग. सावधि जमा पर	-	-	2,67,72,348	1,89,06,834
2. लाभांश				
क. अंशों पर	-	-	-	-
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	2,67,72,348	1,89,06,834
चिन्हित/स्थायी निधियों को हस्तांतरित	-	-		

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची राशि रुपये में

अनुसूची 16 – रॉयल्टी प्रकाशन आदि से आय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
रॉयल्टी से आय	-	-
प्रकाशन से आय	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

राशि रुपये में

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज (प्राधिकरण निधि)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1. अवधि जमा/सावधि जमा		
अनुसूचित बैंकों के पास		
सावधि जमा (एसबीआई)	-	1,00,836
सावधि जमा (केनरा बैंक)	6,19,962	6,58,177
सावधि जमा (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)	-	7,75,163
गैर अनुसूचित बैंकों के पास		
संस्थाओं के साथ	-	-
अन्य	-	-
2. बचत खातों पर		
अनुसूचित बैंकों के पास (केनरा बैंक)	20,01,580	12,69,850
अनुसूचित बैंकों के पास (एसबीआई)	6,656	1,12,586
अनुसूचित बैंकों के पास (बैंक ऑफ महाराष्ट्र)	3,370	3,628
अनुसूचित बैंकों के पास (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)	30,704	-
अनुसूचित बैंकों के पास (आईसीआईसीआई)	953	-
3. ऋण पर	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	1,25,547	1,32,795
5. आयकर विभाग से ब्याज	1,30,980	5,82,928
कुल	29,19,752	36,35,963
अर्जित ब्याज (जीन निधि)		
1. अवधि जमा/सावधि जमा पर		
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	16,439	1,82,556
कुल	16,439	1,82,556

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची
राशि रुपये में

अनुसूची 18 – अन्य आय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टाफ कार के उपयोग के लिए वसूली	-	9,120
पुराने समाचार, पत्रिका व स्कैप से बिक्री	630	-
अपलिखित देयता	16,340	21,113
विविध आय (अन्य)	1,64,33,116	18,728
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिया गया	-	1,05,642
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान की प्राप्ति	-	1,66,038
कुल	1,64,50,086	3,20,641
अन्य आय (जीन निधि)		
विविध आय	34,96,515	-
कुल	34,96,515	-

अनुसूची 19— तैयार माल और चालू कार्य के स्टॉक में वृद्धि /(कमी)	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अंतिम रहतिया		
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
आरंभिक रहतिया		
तैयार माल	-	-
चालू कार्य	-	-
निवल वृद्धि / (कमी)	-	-

अनुसूची 20— स्थापना व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल वेतन	1,68,15,148	1,67,59,477
पेंशन / परिवर्तित पेंशन	10,93,524	39,27,534
विशेष वेतन	-	9,210
प्रतिनियुक्ति भत्ता	52,418	1,78,425
बोनस	34,540	34,540
महंगाई भत्ता	76,82,346	68,43,050
यात्रा भत्ता	11,32,028	11,95,503
नई पेंशन योजना में अंशदान	22,03,008	19,94,447
मानदेय	60,000	1,52,000
मकान किराया भत्ता	27,88,025	32,80,328
छुट्टी नकदीकरण	19,28,095	13,08,616
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	19,74,530	14,79,973
छुट्टी यात्रा सियायत	30,342	3,20,807
बाल शिक्षा भत्ता	4,01,646	3,35,250
उपादान	15,43,236	4,60,468
स्टाफ कल्याण व्यय (चिकित्सा व्यय)	4,09,427	3,63,298
कुल	3,81,48,313	3,86,42,926

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 21— अन्य प्रशासनिक व्यय आदि (प्राधिकरण)	राशि रुपये में	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अंकेक्षण शुल्क	1,80,000	1,38,960
सामान्य सेवा शुल्क	16,88,725	12,99,037
बिजली एवं पानी व्यय	19,22,850	3,96,915
प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों पर व्यय	24,25,088	32,11,038
प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों पर व्यय	33,96,619	13,61,914
अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय	72,67,226	11,80,852
किराया शुल्क — समिति कक्ष	5,39,195	97,000
किराया शुल्क — वाहन	21,12,577	20,27,648
किराया शुल्क — पीओएस मशीन	7,080	7,670
आतिथ्य व्यय	4,72,674	5,07,797
हाउस कीपिंग / ऑफिस मेंटेनेंस खर्च	2,34,118	1,37,770
बीमा	12,156	13,130
विविध व्यय	13,83,170	14,35,512
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	1,12,015	1,21,156
डाक, दूरसंचार एवं दूरभाष	12,94,818	11,06,138
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	12,52,166	10,76,794
व्यावसायिक शुल्क	46,35,612	43,42,342
कानूनी व्यय	2,43,100	75,304
प्रचार एवं विज्ञापन	28,265	85,180
किराया, दर एवं कर	13,07,253	12,61,163
वाहन परिचालन और रखरखाव	1,24,441	1,32,148
मरम्मत एवं रखरखाव	2,76,089	3,52,353
राजभाषा खर्च	92,000	79,749
बैठक शुल्क	96,000	69,600
सदस्यता शुल्क का भुगतान	14,854	13,615
बैंक शुल्क	35,584	25,154
मजदूरी	2,43,35,896	2,90,29,376
निगरानी व्यय	29,12,615	22,82,489
यात्रा व्यय — घरेलू (स्टाफ)	22,18,248	30,05,474
यात्रा व्यय — घरेलू (बाहरी)	5,45,851	-
यात्रा व्यय — अंतरराष्ट्रीय (स्टाफ)	2,35,033	17,136
यात्रा व्यय — अंतरराष्ट्रीय (बाहरी)	10,593	-
9वीं जीबी बैठक व्यय— आईटीपीजीआरएफए	-	15,32,80,790
वैश्विक संगोष्ठी व्यय	1,84,09,477	-
कुल	7,98,21,388	20,81,71,204
अन्य प्रशासनिक व्यय (जीन निधि)		
कार्यक्रम प्रबंधन व्यय	3,15,792	90,124
बैठक शुल्क	4,000	-
प्रचार एवं विज्ञापन व्यय	10,67,392	2,60,758
यात्रा व्यय — घरेलू (स्टाफ)	93,948	-
यात्रा व्यय — बाहरी	10,43,263	18,124
पुरस्कार एवं सम्मान	88,00,000	-
स्मृति चिन्ह	1,32,360	-
बैंक शुल्क	1,102	826
कुल	1,14,57,857	3,69,832

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्र

त्रिलोचन महापात्र
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता के भाग के रूप में अनुसूची

राशि रुपये में

अनुसूची 22- अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संस्थानों / संगठनों को दिया गया अनुदान	11,52,49,780	11,53,10,962
परियोजनाओं पर किया गया खर्च	1,68,12,958	1,37,03,716
जीन निधि को अंशदान	3,00,00,000	2,00,00,000
कुल	16,20,62,738	14,90,14,678

राशि रुपये में

अनुसूची 23- ब्याज	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
स्थायी ऋण पर	-	-
अन्य विशिष्ट ऋण पर	-	-
ब्याज का भुगतान - सरकार	13,86,761	11,78,608
अन्य	-	54,870
कुल	13,86,761	12,33,478
जीन निधि		
अन्य विशिष्ट ऋण पर (जीन निधि)	-	-
कुल	-	-

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

अनुसूची 24

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रमुख लेखा नीतियां

1. लेखा परंपरा

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों और लेखा महानियंत्रक द्वारा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं। प्राधिकरण आय व व्यय की सभी मदों के संबंध में लेखों की अर्जन विधि को अपनाती है, जबतक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. वस्तु सूची का मूल्यांकन

भंडारों के स्टॉक, खपत योग्य तथा अन्य वस्तु सूची मदों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3. अचल सम्पत्तियां

क) अचल सम्पत्तियों का लेखा तब रखा जाता है जब उचित निरीक्षण के पश्चात् उन्हें प्राप्त कर लिया जाता है।

ख) अचल सम्पत्तियों को लागत में से कुल मूल्यह्रास को घटा कर दिखाया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और कोई भी ऐसी प्रत्यक्ष लागत आती है जो परिसम्पत्तियों को उसकी कार्यदशा में प्रयोग हेतु लाने में व्यय की गई हो। अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने/उनके निर्माण से संबंधित वित्तीय लागत को भी शामिल किया जाता है उस अवधि के लिए जिस अवधि तक परिसम्पत्तियां अपने अपेक्षित उपयोग के लिए तैयार होती हों।

ग) गैर-आर्थिक अनुदानों से प्राप्त अचल सम्पत्तियों का पूंजीकरण बताए गए मूल्य पर तथा तदानुसार पूंजी संचय में जमा करके किया जाता है। निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त की गई अचल सम्पत्तियों को 1/-रुपये के नाममात्र मूल्य पर लेखाकृत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

क) मूल्यह्रास प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर ह्रासित मूल्य पर किया जाता है।

ख) 5000/-रु. और इससे कम की लागत वाली अचल सम्पत्तियों की प्रत्येक मद को उनके अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

ग) पट्टे पर ली गई भूमि पट्टे की अवधि पर परिशोधित की जाती है।

5. पट्टेदारी

पट्टेदारी का किराया लीज की शर्तों के संदर्भ में व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

6. परिसम्पत्तियों की क्षति

परिसम्पत्तियों में क्षति तब मानी जाती है जब परिसम्पत्तियों की लागत उनकी वसूली मूल्य से अधिक हो जाती है। यह क्षति उस वर्ष के आय व व्यय के विवरण में दर्ज की जाती है जिस वर्ष परिसम्पत्ति को क्षतिग्रस्त पहचाना जाता है। क्षति संबंधी हानि जिसे पूर्व लेखा अवधि में लेखांकित किया जा चुका है, को वापस कर लिया जाता है, यदि अनुमानित या वसूली योग्य राशि में कोई परिवर्तन होता है।

7. विभिन्न व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय, जिस वर्ष हुआ है से पांच वर्ष की अवधि के भीतर अपलिखित कर दिए जाते हैं।

8. सरकारी अनुदान/अनुवर्ती

(क) i एकमुश्त अनुदान सहायता भारत सरकार से पूंजी या राजस्व और वेतन के रूप में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त होती है।

ii अनुदान सहायता से सृजित ह्यसशील परिसम्पत्तियों की लागत को 'कॉर्पस/पूंजीगत निधि' के खाते में दर्ज किया जाता है।

iii वर्षांत अप्रयुक्त अनुदान की राशि को जिसे सरकार से प्राप्त किया गया है को प्राप्त अनुदान से घटाया जाता है और दायित्व के अंतर्गत दिखाया जाता है। जहां पिछले वर्ष की अव्ययित राशि के पुनर्वैधीकरण और आगामी वित्तीय वर्ष में इसके उपयोग के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है, वहां सरकार को देय राशि को वर्ष के लिए अनुदान में फिर से जमा किया गया है।

iv सरकार से प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज का भुगतान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भारत की संचित निधि में कर दिया जाता है।

v. डीयूएस केन्द्रों तथा अन्यो को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद जारी अनुदान सहायता/अनुदान को, केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि के रूप में दिखाया जाता है और संबंधित डीयूएस केन्द्रों/अन्यो से निर्धारित प्रारूप में अंकेक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र होने पर वास्तविक व्यय को डीयूएस केन्द्र/अन्यो को अनुदान के नाम पक्ष में दिखाया जाता है और वर्ष के अंत में अनुदान की शेष राशि केन्द्रों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त राशि के रूप में दिखाई जाती है।

(ख) जिन मामलों में केन्द्र उपयोग प्रमाण पत्र लेखों को अंतिम रूप देने के पश्चात् उसके पूर्व के वर्ष के लिए प्रस्तुत करता है, उन मामलों में व्यय को प्रावधान से समायोजित किया जाता है। यदि कोई प्रावधान न हो तो इसे पूर्व अवधि समायोजित खाते में दिखाया जाता है, जैसा भी मामला हो।

(ग) यदि वास्तविक व्यय की गई राशि भुगतान की गई अनुदान राशि से अधिक है तो प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर व्यय की गई अतिरिक्त राशि के लिए आवश्यक दायिता सृजित की जाती है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से राशि जारी की जाती है तथा इस प्रकार किए गए

अतिरिक्त व्यय को तर्कसंगत नहीं पाया जाता है तो सृजित दायिता को वापस ले लिया जाता है।

घ) प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित परियोजनाओं के रखरखाव पर हुए व्यय को उसी प्रकार लेखाकृत किया जाता है, जैसा डीयूएस केन्द्रों के मामले में होता है।

9. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन, लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दिखाए जाते हैं।

10. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

क) नई पेंशन योजना के वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा अदा किए गए/अदा किए जाने वाले योगदानों को आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है।

ख) ग्रेजुएट संबंधी दायिताओं को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दिखाया जाता है और इसे वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है।

ग) कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण के लिए दी जाने वाली देयता अर्जन आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है जो वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होती है।

11. करारोपण

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 91 के अंतर्गत प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्तियों के लिए किसी प्रकार का संपत्ति कर, आय कर या अन्य कोई कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पत्तियां

प्रावधान करते समय अनुमान की पर्याप्त मात्रा का प्रयोग किया जाता है और उन्हें मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हो और यह संभावी हो कि संसाधनों की निकासी होगी। आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन खातों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में इसका प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

13. आय और व्यय

इस अनुच्छेद के अंत में बताए गए विवरण के अतिरिक्त वर्ष के सभी आय और व्यय को अर्जन आधार पर लेखे के विशिष्ट प्रत्यक्ष शीर्षकों में लेखाकृत किया जाता है।

क) पिछले वर्षों का ऐसा आय अथवा व्यय जो प्रावधान करने/देयता सृजित करने में हुई एक या इससे अधिक पूर्व अवधियों के दौरान हुई त्रुटियों या गलतियों के परिणामस्वरूप हुए हों, इन्हें 'पूर्व अवधि समायोजन' लेखे के अंतर्गत लेखाकृत किया जाता है।

ख) यदि वास्तविक व्यय अथवा आय अनुमानित आधार पर किए गए सृजित देयता/प्रावधान से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

ग) प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने के बाद की तिथि में लिए गए निर्णय के कारण और किसी अति विशिष्ट मद पर हुए आय/व्यय को, यदि कोई है तो तत्कालीन प्रभाव से नकद आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

घ) तुलन-पत्र में किसी मद के लेखाकरण उपचार या प्रकटीकरण की विधि का पता लगाने में महत्वपूर्ण होने की संकल्पना पर ध्यान दिया जाता है। अतः 1000/-रु. तक की प्रत्येक मद के लिए पहले से अदा किए गए/पूर्व अवधि को नकद आधार पर लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्ज किया जाता है।

14. राजस्व मान्यता

क) आवेदन/पंजीकरण हेतु शुल्क, समय बढ़ाने तथा किसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन से विरोध संबंधी और योगदान संबंधी नोटिस के लिए दिया जाने वाला समय तथा उससे होने वाली आय को प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है।

ख) (i) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तथा उसके बाद प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क को उस वर्ष में प्राधिकरण की आय माना जाएगा जिस वर्ष यह प्राप्त होता है।

(ii) 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क तथा इसके विरुद्ध अदा की गई अनुदान राशि, संबंधित डीयूएस परीक्षण केन्द्र को अदा की गई 50 प्रतिशत अग्रिम राशि को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा प्रत्येक मामले में अब तक प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त डीयूएस परीक्षण शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और अग्रिम राशि की शेष बची 50 प्रतिशत राशि को संबंधित डीयूएस केन्द्रों को देने की बजाय प्राधिकरण की आय माना जाएगा। इसके साथ ही प्राप्त किए गए कुल डीयूएस परीक्षण शुल्क में प्राधिकरण के 30 प्रतिशत हिस्से को भी आय माना जाएगा। जिन मामलों में परीक्षण रिपोर्ट न प्राप्त हुई हो वहां राशि को परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर समायोजित किया जाएगा।

ग) प्रजनकों से लाभ में भागीदारी और क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की गई राशि को दावेदारों की देयता के रूप में माना जाता है जब ऐसी राशि प्राप्त होती है।

घ) अग्रिम में प्राप्त पीवीजे सदस्यता को अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित सीमा तक पूर्व अदा किए गए के रूप में शामिल किया जाता है।

ड.) ब्याज से हुई आय को बकाया राशि तथा लागू दरों के अनुसार समय अनुपात आधार पर दर्ज किया जाता है।

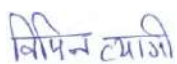
15. पृथक प्रकटीकरण

निम्न के संबंध में आय तथा व्यय लेखे में पृथक प्रकटीकरण किए जाते हैं :

क) 'पूर्व अवधि' मदों में वे मदें शामिल हैं जो ऐसे आय अथवा व्यय का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं जो एक या इससे अधिक की पूर्व अवधियों में वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय त्रुटियों या भूलों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में उत्पन्न हुई हो।

वार्षिक लेखा 2023-24

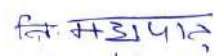
- ख) 'असाधारण मदें जो आय या व्यय की महत्वपूर्ण मदें होती हैं जो ऐसी घटनाओं या लेन-देनों से उत्पन्न होती हैं जो सामान्य क्रियाकलापों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, अतः इनके बार-बार या नियमित रूप से घटित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
- ग) 'विभिन्न आय' शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखाशीर्ष में दर्शाया जाता है।
- घ) 'विभिन्न व्यय' के शीर्ष के अंतर्गत कोई भी ऐसी मद जो प्राधिकरण की सकल आय के 1 प्रतिशत अथवा 50,000/-रु., इनमें से जो भी अधिक हो, उससे ज्यादा हो, उसे आय तथा व्यय के लेखे में उचित लेखा शीर्ष में अलग से दर्शाया जाता है।



विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार



डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 20 जून, 2024

अनुसूची 25

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

- (i) उन आवेदकों का शुल्क वापस करने के मामले में प्राधिकरण के विरुद्ध एक संबंधित मुकदमे में जहां पर आवेदकों के द्वारा आवेदन राजपत्र अधिसूचना के पूर्व किया था जिसकी राशि 29,15,000 रुपये (पिछले वर्ष 29,15,000 रु.) के लगभग बताई गई है, माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे शुल्क को वापस करने का निर्णय दिया है। तथापि, प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।
- (ii) कर्मचारियों/पक्षों द्वारा दाखिल किए गए दावों/न्यायालय मुकदमों के संदर्भ में देयता की राशि अनमान योग्य नहीं है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

प्लांट अथॉरिटी भवन के निर्माण के संबंध में पूंजीगत खाते के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है 12,58,54,095/—रु. (पिछले वर्ष 8,37,61,034/—रु.) है।

3. पट्टे संबंधी बाध्यता

(क) प्राधिकरण में अपने मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों के लिए पट्टेदारी संबंधी निम्न व्यवस्था है:

मुख्यालय/शाखा कार्यालय	पट्टेदार	पट्टे की अवधि	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टेदारी किराया (रु.)	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टेदारी किराया
दिल्ली मुख्यालय	भा.कृ.अ.प., नई दिल्ली	—	2,69,508/—	2,69,508/—
गुवाहाटी शाखा कार्यालय	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएयू)	25 वर्ष	60,000/—	60,000/—
रांची शाखा कार्यालय	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), रांची	25 वर्ष	72,000/—	60,000/—
शिवमोगा शाखा कार्यालय	कृषि एवं बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोगा	25 वर्ष	3,15,600/—	3,15,600/—
पालमपुर शाखा कार्यालय	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	25 वर्ष	1,86,840/—	1,86,840/—
पुणे शाखा कार्यालय	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी	25 वर्ष	4,03,305/—	3,69,215/—

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने पत्र सं. 2(2)/2007 सी पीटी/ईसी दिनांक 24.01.2011 के द्वारा 28.04.2011 से 30 वर्ष के लिए पट्टे के आधार पर हरभजन इन्कलेव, पूसा परिसर, नई दिल्ली के निकट 10,480 वर्ग मी. भूमि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को आबंटित की है जिसे आपसी समझौते से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में 11 नवम्बर 2013 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.सं.)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के बीच 1 रु. प्रति वर्ष किराये की नाम मात्र दर पर एक पट्टा संलेख किया गया है। प्राधिकरण के द्वारा 30 वर्ष की सम्पूर्ण लीज अवधि के लिए 30 रु की कुल राशि का भुगतान कर दिया गया है।

4. प्राधिकरण भवन का निर्माण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हरभजन इन्कलेव, नई दिल्ली के निकट मौजूद 10,480 वर्ग मी. भूमि पट्टे के आधार पर 30 वर्ष के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई है। सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्राधिकरण ने आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करके भवन निर्माण प्रारम्भ किया है। परियोजना की लागत सह-स्वामियों के बीच परियोजना के पूरे होने के पश्चात् निर्मित क्षेत्र के अनुपात के अनुसार आबंटित की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने प्लांट अथॉरिटी भवन के निर्माण के लिए प्रारम्भ में 1,27,38,82,365/—रु. की लागत स्वीकृत की थी जिसे बाद में संशोधित करके 1,38,25,75,493/—रु कर दिया गया है। अब की तिथि तक निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शक मैसर्स उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएनएल) को 1,22,91,65,701/—रु. की राशि (पिछले वर्ष 1,18,41,35,849/—रु. की राशि) अदा की जा चुकी है जिसके विरुद्ध 1,21,96,29,957/— रु. (पिछले वर्ष 1,18,41,35,849/—रु.) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और शेष 95,35,744/— रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) को लेखों में अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। प्लांट अथॉरिटी भवन के निर्माण पर व्यय की गई राशि को मैसर्स यूपीआरएनएन से प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों के आधार पर और प्राधिकरण द्वारा व्यय की गई राशि को पूंजीगत चालू कार्य में अनुसूची 8 (ब) के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5. अचल सम्पत्तियां

31.03.2024 को सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा गठित एक दल द्वारा किया गया। यह सूचित किया गया है कि सम्पत्तियों की कोई कमी/बढ़ोतरी नहीं पाई गई है।

6. चालू सम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

(क) पूर्व अध्यक्ष के अंशदान भविष्य निधि के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त 45,000/—रु. की राशि अग्रिम के रूप में दर्शायी गई है। मंत्रालय के अनुदेशों पर अध्यक्ष का अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) बंद कर दिया गया तथा इस राशि को प्राधिकरण द्वारा जमा करा दिया गया है और मंत्रालय से वापस लिया जाना है जिसके लिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया है लेकिन वापसी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) विद्यमान डीयूएस केन्द्रों (अनुबंध-ख), नए डीयूएस केन्द्रों (अनुबंध-ग) संदर्भ प्रयोगशालाओं (अनुबंध-घ), फील्ड जीन बैंकों (अनुबंध-ड.) और प्रशिक्षण केन्द्रों (अनुबंध-च) को दी गई अनुदान राशि में परिवर्तन इस प्रकार है:

वार्षिक लेखा 2023-24

31 मार्च 2024 को

(राशि रुपये में)

विवरण	विद्यमान डीयूएस केन्द्र	नए डीयूएस केन्द्र	संदर्भ प्रयोगशालाएं	फील्ड जीनबैंक	प्रशिक्षण केन्द्र
01 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शेष	11,53,71,142 / -	4,35,38,818 / -	49,714 / -	43,88,090 / -	2,72,98,134 / -
जमा: वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गईं	8,77,57,642 / -	2,96,64,902 / -	--	28,94,858 / -	33,75,003 / -
जमा: हस्तांतरण	1,52,75,096 / -	(1,52,91,587 / -)	--	--	(4,233 / -)
जमा: अर्जित ब्याज	61,621 / -	1,36,394 / -	--	--	508 / -
घटाएं: प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र	7,50,05,009 / -	1,98,31,544 / -	--	41,37,927 / -	58,16,543 / -
घटाएं: प्राप्त वापसी	16,47,746 / -	1,05,485 / -	--	--	3,32,309 / -
31 मार्च 2024 को अंतिम शेष	14,18,12,746 / -	3,81,11,498 / -	49,714 / -	31,45,021 / -	2,45,20,560 / -

31 मार्च 2023 को

(राशि रुपये में)

विवरण	विद्यमान डीयूएस केन्द्र	नए डीयूएस केन्द्र	संदर्भ प्रयोगशालाएं	फील्ड जीनबैंक	प्रशिक्षण केन्द्र
01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	9,01,58,378 / -	3,93,28,785 / -	49,714 / -	27,81,492 / -	2,98,78,018 / -
जमा: वर्ष 2022-23 के दौरान जारी की गईं	8,49,25,974 / -	2,83,15,185 / -	--	30,10,629 / -	14,70,000 / -
जमा: हस्तांतरण	5,15,851 / -	3,00,000 / -	--	--	88,799 / -
जमा: अर्जित ब्याज	69,433 / -	79,112 / -	--	--	--
घटाएं: प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्र	6,02,31,429 / -	2,33,59,264 / -	--	14,04,031 / -	35,12,579 / -
घटाएं: प्राप्त वापसी	67,065 / -	11,25,000 / -	--	--	6,26,104 / -
31 मार्च 2023 को अंतिम शेष	11,53,71,142 / -	4,35,38,818 / -	49,714 / -	43,88,090 / -	2,72,98,134 / -

घ. बकाया अग्रिम डीयूएस केन्द्र/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा किए गए समायोजन और पुष्टि के अधीन हैं।

ड. वर्ष 2023-24 के लिए विद्यमान डीयूएस केंद्रों, नए डीयूएस केंद्रों, फील्ड जीन बैंकों, संदर्भ प्रयोगशालाओं से वर्ष 2023-24 और उससे पहले की अवधि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों की लंबित प्राप्तियों के लिए 7,07,39,918 / - रु. (पिछले वर्ष 8,58,49,179 / - रु.), का खातों में संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदानों के प्रति व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2023-24 के दौरान

वार्षिक लेखा 2023-24

11,47,105 /—रु. (पिछले वर्ष (—) 16,843 /— रु.), का प्रावधान संस्थानों/संगठन को दिए गए अनुदान के विरुद्ध खर्च के लिए किया गया है, । 31 मार्च 2024 तक विद्यमान डीयूएस केंद्रों, नए डीयूएस केंद्रों, फील्ड जीन बैंकों और संदर्भ प्रयोगशालाओं के संबंध में कुल प्रावधान 15,88,64,222 /— रु. (पिछले वर्ष 14,44,97,316 /— रु.) और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 1,97,60,961 /— रु. (पिछले वर्ष 2,17,34,904 /— रु.) है।

च. वार्षिक शुल्क को फसल किस्म के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष पूरा होने पर देय माना गया है। यदि पंजीकृत किस्म की वैधता की अवधि वार्षिक शुल्क की देय तिथि के पूर्व समाप्त हो जाती है तो उस वार्षिक शुल्क को प्राप्य नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 26 अगस्त 2009 राजपत्र अधिसूचना के अनुसार प्रजनकों या एजेंट और लाइसेंसी को पंजीकृत किस्म के बीजों की बिक्री मूल्य और रॉयल्टी का कुछ प्रतिशत अदा करना होता है। उन बचे हुए मामलों में जिनमें प्रजनकों या एजेंट या लाइसेंसी से उपलब्ध बिक्री राशि का विवरण प्राप्त नहीं हुआ था, बकाया राशि के लिए आय की गणना नहीं की गई है, जिसके लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई प्रजनक, एजेंट या लाइसेंसी लगातार दो वर्षों तक शुल्क जमा कराने में असफल रहता है तो उसे नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है और नोटिस के निर्देश न पूरे किए जाने पर, सभी उपलब्ध सुरक्षाएं जब्त कर ली जाती हैं।

7. करारोपण

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 91 के अनुसार "प्राधिकरण को अपनी संपत्ति, आय, लाभ अथवा प्राप्तियों पर सम्पत्ति कर, आयकर या कोई अन्य कर नहीं देना है" अतः वर्तमान और आस्थगित आय कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

8. अग्रदाय

अग्रदाय का अंतिम शेष मुख्यालय तथा शाखावार निम्नानुसार है:

(राशि रुपये में)

मुख्यालय/शाखा कार्यालय	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
दिल्ली मुख्यालय	शून्य	शून्य
गुवाहाटी शाखा कार्यालय	1,458 /—	1,458 /—
रांची शाखा कार्यालय	2,514 /—	673 /—
शिवमोगा शाखा कार्यालय	957 /—	शून्य
पालमपुर शाखा कार्यालय	1,066 /—	11,842 /—
पुणे शाखा कार्यालय	शून्य	शून्य
कुल	5,995 /—	13,973 /—

9. सरकारी अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों से वर्ष के दौरान खरीदी गई /पंजीकृत की गयी अचल सम्पत्तियों को कॉर्पस/पूंजी निधि में जोड़ा गया है जिसकी राशि 36,00,890 /—रु. (पिछले वर्ष 4,36,165 /—रु.) है।

वार्षिक लेखा 2023-24

10. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) ग्रेच्युटी : कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है जो कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के कुल वर्षों पर निर्भर करती है तथापि, इसकी अधिकतम सीमा 25.00 लाख रुपये है। तुलन-पत्र में दर्शाई गई ग्रेच्युटी दायिता का सारांश इस प्रकार है:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का आदि शेष	75,63,282 /—	73,99,166 /—
ख)	आय और व्यय लेखे में दिखाए गए व्यय	15,43,236 /—	4,60,468 /—
ग)	भुगतान किए गए लाभ	--	20,00,000 /—
घ)	अधिग्रहण समायोजन	--	17,03,648 /—
च)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का अंत शेष	91,06,518 /—	75,63,282 /—

बीमांकिक अवधारणाएं

विवरण	2023-24	2022-23
प्रयुक्त विधि	परिवीक्षित इकाई जमा	परिवीक्षित इकाई जमा
छूट की दर	7.23%	7.34%
भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%

(ख) छुट्टी नकदीकरण : कर्मचारियों द्वारा अर्जित छुट्टी संबंधी देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो वर्ष के अंत में अर्जित की गई छुट्टी, नकदीकरण, ली गई छुट्टी, समाप्त हो गई छुट्टी तथा प्रतिपूरक अनुपस्थिति के आधार पर निश्चित होती है। ऐसा सेवा में रहते समय अथवा सेवा को छोड़ते समय निर्धारित किया जाता है जो प्राधिकरण के नियमों के अंतर्गत लेखा मानक संख्या-15 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होता है।

प्रतिपूरित अनुपस्थिति सहित अर्जित की गई छुट्टी दायिता की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क.	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का आदि शेष	84,16,764/-	92,72,205/-
ख)	आय और व्यय लेखे में दिखाए गए व्यय	18,25,098/-	9,82,623/-
ग)	भुगतान किए गए लाभ	---	24,90,186/-
घ)	अधिग्रहण समायोजन	---	6,52,122/-
च)	बाध्यता के वर्तमान मूल्य का अंत शेष	1,02,41,862/-	84,16,764/-

बीमांकित अवधारणाएं

विवरण	2023-24	2022-23
प्रयुक्त विधि	परिवीक्षित इकाई जमा	परिवीक्षित इकाई जमा
छूट की दर	7.23%	7.34%
भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%

11. विदेशी मुद्रा लेन-देन

वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा 1,06,72,684/- रु. (83.5654 रुपये की दर से 40752 अमेरिकी डालर और 83.50 रुपये की दर से 87032.65 अमेरिकी डालर) की राशि विदेशी मुद्रा में प्रेषित की गई है।

12. पूर्वावधि समायोजन लेखा

विभिन्न डीयूएस केन्द्र, परियोजनाओं और प्रशिक्षण केन्द्रों को दिए गए अग्रिम का समायोजन वर्ष 2023-24 के लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि तक प्राप्त हुए उपयोग प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2022-23 या पूर्व अवधि से संबंधित उपयोग प्रमाण पत्रों को प्रावधान के अंतर्गत समायोजित किया गया है और प्रावधान से अधिक हुए व्यय को पूर्वावधि व्यय के अंतर्गत लेखाकृत किया गया है। इसी प्रकार, पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय के लिए जिसमें संबंधित वर्षों में कोई संपत्ति/दायिता सृजित नहीं की गई उन्हे भी पूर्व अवधि समायोजन लेख में लेखाकृत किया गया है।

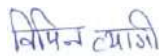
13. विद्यमान डीयूएस केन्द्रों/नए डीयूएस केन्द्रों/फील्ड जीनबैंकों/संदर्भ प्रयोगशालाओं तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र लिखे गए हैं और यह अनुरोध किया गया है कि वे शेष राशि की पुष्टि करें तथा असहमति के मामले में अपनी टिप्पणियां दें। कुछ मामलों में पुष्टि संबंधी पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। केन्द्रों द्वारा कोई कमी रिपोर्ट किए जाने पर लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन किया गया है।

14. वर्ष के दौरान प्राधिकरण के लिए, अवर्गीकृत प्राप्तियों के संबंध में 2,24,47,485/- रु. की राशि को, विविध आय (1,64,33,116/- रु.) और पूर्व अवधि की आय (60,14,369/- रु.) के रूप में दर्ज किया गया है और जीन फंड के लिए 3,24,52,565/- रु. की राशि को, विविध आय (34,96,515/- रु.) और पूर्व अवधि आय (2,89,56,050/- रु.) के रूप में दर्ज किया गया है।

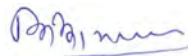
15. पुनः समूहीकरण/पुनः वर्गीकरण/राउंडिंग ऑफ/सामंजस्य

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

16. लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।



विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार



डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 20 जून, 2024

वार्षिक लेखा 2023-24

अनुबंध-क

पूर्वावधि समायोजन लेखा

राशि रुपये में

क.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
	प्राधिकरण निधि				
1	प्रशासनिक	10,47,864	29,624	10,18,240	(4,40,293)
2	अचल सम्पत्ति	-	-	-	-
3	प्रशिक्षण व्यय	-	-	-	-
4	स्थापना	18,763	1,80,721	(1,61,958)	19,42,454
5	ब्याज	2,61,48,151	2,34,30,208	27,17,943	36,84,693
6	जीन निधि को अदा किया गया अनुदान	-	-	-	-
7	डीयूएस शुल्क आदि	19,73,153	81,21,056	(61,47,903)	(20,000)
	कुल	2,91,87,931	3,17,61,609	(25,73,678)	51,66,854

पूर्वावधि समायोजन लेखा

राशि रुपये में

क.सं.	लेखा शीर्ष	नामे	जमा	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
	जीन निधि				
1	ब्याज	13,970	11,53,063	(11,39,093)	4,44,634
2	वार्षिक / नवीकरण / पंजीकरण / डीयूएस शुल्क आदि	54,000	2,91,71,203	(2,91,17,203)	(10,000)
3	प्रशासनिक व्यय	-	-	-	9,90,277
	कुल	67,970	3,03,24,266	(3,02,56,296)	14,24,911

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/ केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण											
क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान प्राप्त जायी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2023-24	राशि रुपये में 31-03-2024 को अंत शेष
1	डीटीआर एवं डीसीटीबी, कृषिसँग	चाय	1,00,000						1,00,000		1,00,000
2	बीसीकेबी – बिमान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी	कचालू और लारो	5,10,211						5,10,211		5,10,211
3	एनबीपीजीआर, आईसीएआर –यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला	चौलाई	19,041						19,041		19,041
4	आनुवंशिकी संग्राम, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली		35,026						35,026		35,026
5	जीडीपीयू एवं टी – गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पल्लनगर	ज्वार	27,475						27,475		27,475
6	आईआईएचआर, आईसीएआर–यूनिट, बंगलुरु	रजनीगंधा, कानैशन	3,35,696					9,91,911	13,27,607		5,04,918
7	सीटीसीआरआई – केन्द्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम	शकरकंदी एवं कसावा	3,48,814					6,19,503	9,68,317		9,68,317
8	एनबीआरआई, आईसीएआर–यूनिट, लखनऊ	रलेडियोल्स, बोगननीलिया और केली	6,67,121				11,144	3,70,444	10,48,709	1,84,070	8,64,639
9	एनएआरपी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, पुणे	चाइना ऐस्टर	1,00,000						1,00,000		1,00,000
10	डीएफआर (पुष्पविज्ञान अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.सं. परिसर, नई दिल्ली	रलेडियोल्स	1,52,020			(1,52,020)			-		-
11	बीसीकेबी (बिमान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	परवल	10,18,905	-	6,55,761	-	-	6,64,830	10,27,974	-	4,80,363
12	पुष्पविज्ञान संग्राम, भा.कृ.अ.सं., भा.कृ.अ.प. –यूनिट नई दिल्ली	गुलाब और गुलदाउदी	1,24,295						1,24,295		1,24,295
13	आईआईएचआर, भा.कृ.अ.प.–यूनिट, बंगलुरु	चनेली	9,53,890	4,18,063				6,01,355	11,37,182		5,61,863
14	जीन अभियान (कृषक किर्माों का गुण निर्धारण), नई दिल्ली	-	1,40,000						1,40,000		1,40,000
15	ए एवं एफबी (कृषि एवं खाद्य उत्पादन), मुम्बई	चावल	1,50,003						1,50,003		1,50,003
16	सीआईएएच, बीकानेर	-	6,71,663						6,71,663		6,71,663
17	सीआईटीएच (केन्द्रीय उष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, श्रीनगर	आमू, आलूखारा, सेब, बादाम, नाशपाती, खुबानी व अखरोट	28,10,899		11,58,611		2,709	12,10,702	28,65,699		28,65,699
18	सीआईएसएच (केन्द्रीय उष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.–यूनिट, लखनऊ	आम	7,72,559		1,80,488			11,68,602	17,60,673		17,60,673
19	आरएआरआई, दुर्गापुर, जयपुर	जौ	8,44,081		5,91,368			3,91,368	6,44,081		6,44,081
20	यूपीएसआई, कोयम्बटूर	चाय	2,00,000						2,00,000		2,00,000
21	डीएफआर (पुष्पविज्ञान संग्राम), भा.कृ.अ.प. पुणे	रजनीगंधा	1,34,500					6,52,652	7,87,152		7,87,152
22	आईआईएचआई, पुष्पविज्ञान संग्राम, नई दिल्ली	बोगननीलिया	7,69,905					4,90,901	12,60,806	6,20,004	6,40,802
23	एनबीकेबी (महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय), राहुडी (पुणे केन्द्र)	चाइना ऐस्टर	7,80,000		4,85,989			3,70,989	6,65,000		6,65,000
24	पुष्पविज्ञान एवं मृदुसुगन्धि संग्राम, आईआईएचआई, नई दिल्ली	गुलाब और गुलदाउदी	1,06,836						1,06,836		1,06,836
25	आईआईएचआर, कोचिकोडे, भा.कृ.अ.प.–यूनिट	बीज मसाले	2,40,771						2,40,771		2,40,771
26	यूएसए, बंगलौर	चावल	2,54,467						2,54,467		2,54,467
27	एसकेएचएच, जोधपूर	जौ	85,554						85,554		85,554
28	जेएनकेबी, जलपुर	दाल मटर, अलसी एवं मसूर	6,52,408					5,18,768	11,71,176	6,62,370	5,08,806
29	बीसीकेबी (बिमान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), कल्याणी	पान	7,91,368	81,368	1,48,691	-	-	-	5,61,309	-	5,61,309
30	आईजेकेबी, रायपुर	चावल	5,31,729			(1,92,650)			3,39,079		3,39,079

विद्यमान डीयूस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/ केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण												
अनुबंध-ख												
राशि रुपये में												
क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2023-24	2023-24 के दौरान खय	31-03-2024 को अंत शेष
31	सीआईएएपी (केन्द्रीय औषधीय एवं संरक्षक पादप संस्थान), लखनऊ	औषधीय पौधे	3,75,058				2,043	4,69,989	8,47,090		5,48,282	2,98,808
32	सीएलएसआरआई, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, जोधपुर	अनाज	1,58,111						1,58,111			1,58,111
33	सीआईएएव (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, बीकानेर	बेर	2,32,856					7,82,744	10,15,600		7,14,013	3,01,587
34	एमपीयू एवं टी	मक्का	3,00,000						3,00,000			3,00,000
35	पी एच एसओ, कृषि महाविद्यालय, कोल्लपुर	मक्का	2,12,560						2,12,560			2,12,560
36	आईएलआरआई, सब्जी विज्ञान संभाग, नई दिल्ली	लौकी, करेला, कद्दू व खीरा	1,98,228					7,83,477	9,81,705			9,81,705
37	एसएफआरआई (राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	ऑर्किड	21,481						21,481			21,481
38	आईएलआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई	बंदगोभी व फूलगोभी	6,44,043					6,29,566	12,73,609			12,73,609
39	आईआईएचआर, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	आम	5,96,381					5,82,019	11,78,400		7,33,258	4,45,142
40	एनआरसी, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, त्रिवी	केला	2,37,804					7,57,946	9,95,750		6,41,236	3,54,514
41	टीआरए, टोकलाई	चाय	2,78,623	2,92,254				7,13,563	6,99,932			6,99,932
42	सीआरआई, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, पोर्ट ब्लेयर	नोनी	7,69,115	-	3,34,519	-		5,19,519	9,54,115	-	5,27,021	4,27,094
43	टीएनयू, कोयमटूर	गौण अनाज	16,84,001					4,27,800	21,11,801			21,11,801
44	एनपीजीआर, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	दामा चौलाई	16,93,998					7,15,440	24,09,438			24,09,438
45	टीएनयू, कोयमटूर	चनेली	7,95,000		5,00,551			6,00,551	8,95,000			8,95,000
46	डीजीआर (शृंगफली अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, जूनागढ़	भूंगफली	5,41,876						5,41,876			5,41,876
47	सब्जी विज्ञान संभाग, आईएलआरआई, नई दिल्ली	निर्ध	5,47,304						5,47,304			5,47,304
48	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	ऑर्किड	2,35,298						2,35,298			2,35,298
49	आईआईबीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, वाराणसी	खीरा	4,98,218						4,98,218			4,98,218
50	जेएनकेवीपी, जबलपुर	तिल और रमतिल	9,35,167					7,75,617	17,10,784		6,90,817	10,19,967
51	आईआईएचआर, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	तरबूजा और खरबूजा	3,90,688					6,67,712	10,58,400		8,88,860	1,69,540
52	सीएसआरटीआई (केन्द्रीय रेसमकोट पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान), मैसूर	शहतूत	4,14,253					2,00,000	6,14,253			6,14,253
53	जेएनयू (जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय), जामनगर	अरण्ड	9,54,793						9,54,793		2,82,765	6,72,028
54	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	पौलतर जलनद्वय	4,65,147	1,30,053			11,445	5,43,461	8,90,000			8,90,000
55	अंगारू (आचार्य एन जी रांग कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	गौण अनाज	5,08,701						5,08,701			5,08,701
56	आईएफबीआईबी (राष्ट्रीय वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान), कोयमटूर	सफेदा एवं कैसुरीना	10,82,046					5,01,897	15,83,943			15,83,943
57	आईआईएचआर, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	चौलाई, पालक एवं नत्तदार तोरी	16,04,049					6,12,568	22,16,617			22,16,617
58	एनआरसीएसएस (राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केन्द्र), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, अजमेर	बीज मसाले	3,30,323					6,74,912	10,05,235		5,13,395	4,91,840
59	एएयू (असम कृषि विश्वविद्यालय), जोरहट	चावल	9,20,450					7,08,899	16,29,349			16,29,349
60	पुष्पविज्ञान एवं मृदुसामाग संभाग, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, आईएलआरआई, नई दिल्ली	मंदा	2,00,176					7,98,224	9,98,400			9,98,400

विद्यमान डीयूस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण											अनुसंधान-ख	
क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आतिथिक / बाह्य	अतिरिक्त व्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2023-24	2023-24 के दौरान व्यय	राशि रुपये में 31-03-2024 को अंत शेष
61	पीकेकेएस (विकानंद पक्षीय कृषि अनुसंधान शाला), भा.कृ.अ.प.-यूनिट अल्मोड़ा	राजमा, सोयाबीन एवं मक्का	15,14,937		15,14,634			14,15,677	14,15,980		11,20,252	2,95,728
62	डीओजीआर (प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट राजाकुमार	प्याज एवं लहसुन	12,54,350		7,47,901			5,58,400	10,64,849			10,64,849
63	एआरसी (एश्वीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, सिक्किम	ऑर्किड	7,02,128						7,02,128		1,88,490	5,13,638
64	एआरसीपी, भा.कृ.अ.प.-यूनिट.शोलापुर	अनार	4,50,536					6,20,064	10,70,600		6,80,103	3,90,497
65	सखी विज्ञान संगम, आईआरआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	प्याज एवं लहसुन	12,25,286					3,64,152	15,89,438		7,45,783	8,43,655
66	आईआईएसआर (भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, लखनऊ	गन्ना	12,72,643		3,91,926			3,00,000	11,80,717		7,63,868	4,16,849
67	आईआईएसआर भा.कृ.अ.प.-यूनिट, झांझारू	धान	4,39,042					6,04,829	10,43,871		6,10,597	4,33,274
68	सीएसएस एवं टी (बन्ध शेलर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय), कानपुर	सरसों एवं गेहूँ	13,53,595						13,53,595		6,44,058	7,09,537
69	आईआईएसआर (भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कालीकट	मसाले	3,83,681					9,53,802	13,37,483			13,37,483
70	डीएसआर (सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, इंदौर	सोयाबीन	17,28,937					7,78,407	25,07,344			25,07,344
71	आईआईसीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	मूंग, लुङ्गद, मसूर, राजमा व मटर	24,21,233					6,58,500	30,79,733	2,59,812		28,19,921
72	बीएसकेसी दमोली	चावल	2,20,816						2,20,816			2,20,816
73	एआरसी (एश्वीय और अनुसंधान केन्द्र), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, पुणे, महाराष्ट्र	अंगूर	4,82,084					5,81,316	10,63,400		7,02,863	3,60,537
74	आईआईआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, कर्नाल	चावल	8,99,556		6,71,552			7,61,952	9,89,956		7,63,949	2,26,007
75	गन्ना प्रजनन संस्थान, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कोयमटूर	गन्ना	10,61,227		6,42,083			11,76,183	15,95,327			15,95,327
76	आईजीकेबी, रायपुर	ग्री आउट परेषण (चावल)	9,77,970		7,70,377	1,92,650		7,95,377	11,95,620		7,70,593	4,25,027
77	गन्ना प्रजनन संस्थान, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कर्नाल	गन्ना	13,88,689		3,72,365			3,00,000	13,16,324			13,16,324
78	आईआईइल्यूबीआर, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कर्नाल	जौ और गेहूँ	13,21,749					14,08,490	27,30,239		6,81,524	20,48,715
79	डीआरएसआर (लोहिया एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, भरापुर	लोहिया और सरसों	6,25,440					6,02,356	12,27,796		6,46,513	5,81,283
80	आरएयू, बीकानेर - मंदीर एआईसीपीआआईपी, जोधपुर	बाजरा	34,046						34,046			34,046
81	पीएयू (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय), लुधियाना	जई, लोहिया, गिनी घास और कपास	16,15,674					7,25,535	23,41,209			23,41,209
82	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, तिरुवनंतपुरम	जीमकंद, तारो, कघालू और भेट्टर याम	15,88,737		4,67,588			7,85,860	19,07,009			19,07,009
83	एआरआरआई (एश्वीय चावल अनुसंधान संस्थान), भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कटक	चावल	31,69,475	12,49,094	11,37,685			11,62,685	19,45,381		13,10,870	6,34,511
84	एसडी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात	दालें	8,18,479						8,18,479			8,18,479
85	पीकेकेबी (पंजाब राय देशमुख कृषि विश्वविद्यालय) अकोला	अरहर, चना, अरहर व कुसुम	18,66,677		8,25,020			5,75,020	16,16,677		8,44,571	7,72,106
86	सखी विज्ञान प्रगम, आईआरआई, नई दिल्ली	चौलाई, पालक, नसदार तोरो	14,90,652					6,16,007	21,06,659			21,06,659
87	केयू (केरल कृषि विश्वविद्यालय), त्रिशूर	ऑर्किड	14,90,437						14,90,437			14,90,437
88	डीएपीआर (औषधीय एवं समर्थीय पौधा अनुसंधान निदेशालय), आनंद	औषधीय एवं समर्थीय पौधे	3,36,319					5,73,681	9,10,000		5,55,727	3,54,273
89	सीसीएसएयू (कैबरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय), हिसार	कपास और चना	12,06,025					11,54,013	23,60,038			23,60,038
90	आईआईआई, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	गेहूँ	7,17,613					7,66,765	14,84,378			14,84,378

विद्यमान डीयूएस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/ केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण											
अनुबंध-अ											
क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	इस्पातरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	राशियाँ 2023-24	31-03-2024 को अंत शेष
91	सीपीआरआई (केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, शिमला	आलू	17,40,767		10,60,451	4,233	-	11,10,451	17,95,000		17,95,000
92	अंगारू (आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	मक्का और उड़द	3,51,000						3,51,000		3,51,000
93	एनईएच, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, बड़ामणी, मणिपुर	चावल	18,19,072		10,53,347			11,03,347	18,69,072		18,69,072
94	सबजी विज्ञान प्रभाग, आईएसआरआई, नई दिल्ली	बंदगोभी और फूलगोभी	9,29,535	5,92,469				7,16,334	10,53,400		10,53,400
95	पीआईटीएलएल्यू (मै. जय शंकर तेलंगना राज्य कृषि विश्वविद्यालय), हैदराबाद	मक्का	15,69,053		12,46,803			15,84,913	19,07,163		12,64,334
96	टीएलएल्यू (तिलि नाडु कृषि विश्वविद्यालय), कोयम्बतूर	चावल, सूजमुखी और मूंगफली	41,589					7,16,881	7,58,470		7,58,470
97	सीटीसीआरआई (केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, मुन्नरचेर	शकरबंद और कसावा	20,27,675		4,22,456			5,77,456	21,82,675		21,82,675
98	आईआईएमआर, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	ज्वार	13,07,997		9,64,132			8,84,135	12,28,000		4,12,878
99	सीआरआईएएलएएलएलएल (केंद्रीय पटसन एवं समृद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान), बैकपुर और सीएसआरएस, बुंदेलखंड	पटसन	17,75,100					8,36,711	26,11,811	13,87,934	12,23,877
100	एमपीकेबी, राहुरी	कपास	8,63,081					9,08,373	17,71,454		17,71,454
101	आईआईआरआर, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	सूजमुखी, अरुंध और कुसुम	8,87,248					5,67,152	14,54,400		8,15,873
102	सीपीसीआरआई, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, केरल	मायिल	3,36,784					5,57,966	8,94,750		5,91,246
103	यूएसएस, जीकेबीके, बंगलुरु	लघु मोटे अनाज	13,83,670					7,09,146	20,92,816		20,92,816
104	सीआईसीएसए (केंद्रीय उष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, लखनऊ	अरुंध और लौकी	5,56,719	-	-	-	-	7,84,537	13,41,256		13,41,256
105	आईआईसीआर (भारतीय तलहन अनुसंधान संस्थान), कागपुर	चना और अरहर	8,04,997		6,61,268			10,72,471	12,16,200		6,71,979
106	एमपीकेबी, राहुरी	ज्वार, बाजरा और घना	30,13,830		11,84,620			23,72,304	42,01,514		36,37,125
107	आईआईएमआर, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	संक्रिया	27,053					-	27,053	-	27,053
108	यूएसएस (कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय), धारवाड़	कपास, सोयाबीन, मूंगफली, उखरुम गेहूं और तिल	12,07,870		6,70,275			8,26,525	13,64,120		8,49,507
109	आईआईएमआर (भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, बंगलुरु	गुलाब और गुलदाउदी	68,318					8,71,683	9,40,001		7,87,045
110	आईआईआरआर, हैदराबाद, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, हैदराबाद	चावल	38,34,244					15,27,050	53,61,294		5,21,116
111	आईआईएमआर, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	मक्का	42,60,593	12,40,453	17,19,871		15,606	23,02,241	36,18,116		14,68,891
112	सीआईसीआर, कोयम्बतूर	कपास	-	14,693	8,01,149			5,39,748	9,60,403		21,49,225
113	सीआईसीआर (केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, नागपुर	कपास	25,46,447		8,19,363	(12,36,497)		24,24,513	29,15,100		9,60,403
114	आईआईसीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), मा.कृ.अ.प.-यूनिट, वाराणसी	भिण्डी, बैंगन, टमाटर, बंदगोभी और फूलगोभी आदि	30,04,036		-			36,54,518	66,58,554		33,10,000
115	सीसीआरआई, मा.कृ.अ.प.-यूनिट, नागपुर	सिट्रस, खट्टा, मौसमी और मंडारिन	3,16,091	-	-	-	-	5,49,803	8,65,894	-	6,36,117
116	आईआईएमआर, बंगलुरु (गुलदाउदी)	गुलदाउदी	11,71,766						11,71,766		8,14,216
117	आईएसआरआई, नई दिल्ली	गुलदाउदी	5,88,414					5,14,986	11,03,400		3,57,550
118	आईआईसीआर (भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान), वाराणसी	फल	5,67,092					3,00,000	8,67,092		6,95,881
119	आईआईएमआर, बंगलुरु (क्रोसिंग)	क्रोसिंग	6,83,048	1,33,048	2,49,195			3,14,195	6,15,000		4,56,175
120	अंगारू, मुंदूर	मक्का और सोजले	6,25,480					1,95,973	8,21,453		8,21,453

विद्यमान डीयूस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/ केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण												राशि रुपये में
क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2023 को प्रारम्भिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2023-24	2023-24 के दौरान व्यय	31-03-2024 को अंत शेष
121	डॉ. वाई एस आर बागवानी विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च और पेरिका	12,20,600					4,37,982	16,58,582			16,58,582
122	डॉ.वाई.एस.एस. बागवानी विश्वविद्यालय, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	क्रॉसेट्टा	4,25,000						4,25,000			4,25,000
123	सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर	मिर्च, पेरिका और सिमला मिर्च	9,00,000		7,19,165			2,78,339	4,59,174		4,57,155	2,019
124	यूएसएस, बागलकोट	मिर्च, पेरिका और सिमला मिर्च	5,14,430				6,136	4,75,370	9,95,936		7,18,168	2,77,768
125	एसडीयू, एसके मगर, गुजरात	दाना चोलाई	9,05,000					6,20,864	15,25,864			15,25,864
126	पीडीकेवी (पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय)अकोला सहयोग केन्द्र	मूंग	13,00,000					3,00,000	16,00,000		7,20,143	8,79,857
127	सीएसकेचपीकेवी, पालमपुर	कुट्ट	10,58,999	1,53,999	4,63,960			2,03,960	6,45,000		5,66,161	78,839
128	सीएसएसए एच टी (चन्द्र शंखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय), कानपुर	अलसी	9,33,440					5,14,694	14,48,134		2,04,650	12,43,484
129	सीआईएलएच बीकानेर	तरबूजा और खरबूजा	5,37,086		5,48,301			5,53,275	5,42,060			5,42,060
130	पीयू (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय), लुधियाना	बाकला	6,45,000		2,35,000			5,35,000	9,45,000			9,45,000
131	एनबीपीजीआर, मा.कू.अ.प.-यूनिट, नई दिल्ली	बाकला	3,10,000					7,10,159	10,20,159			10,20,159
132	एन्आरसी (राष्ट्रीय ऑर्गेनिक अनुसंधान केन्द्र), मा. कू.अ.प.-यूनिट, सिक्किम	ऑर्गेनिक	3,00,000						3,00,000			3,00,000
133	आईसीएआर-अनुसंधान निदेशालय पुरुर	काजू	-					6,44,879	6,44,879		4,54,849	1,90,030
134	आईसीएआर-एआईसीआरपी जोधपुर	बाजरा	5,00,000					5,73,109	10,73,109		7,54,014	3,19,095
135	सीटीसीआरआई त्रिसंन्द्रम	जिमीकंद	-					14,55,069	14,55,069			14,55,069
136	आईआईएस्आर, बंगलुरु	मिर्च, बैंगन और टमाटर	8,00,000					24,86,347	32,86,347			32,86,347
137	आईसीएआर-यूनिट-एन्आरसी (यूने)	अंगूर	-						-			-
138	आईआईपीओआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर	अहरार	5,00,000					3,00,000	8,00,000			8,00,000
139	एसीएचएफ, एमयू, नवसारी, गुजरात	सफेदा और यूरोफाइला		-	-	5,06,432	-	-	5,06,432	-	3,18,836	1,87,596
140	बीएसकेकेवी, दापोली	कोकम		-	-	1,37,972	-	-	1,37,972	-	-	1,37,972
141	डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, दापोली	जायफल		-	-	3,23,945	-	5,78,855	9,02,800	-	6,01,559	3,01,241
142	सी(आर)आई, मा.कू.अ.प.-इकाई, पोर्ट ब्लेयर	मूंग, उड़द,लोकिया, अहरर		-	-	6,18,535	-	-	6,18,535	-	-	6,18,535
143	केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक	कॉफी		11,260	-	8,81,260	-	3,00,000	11,70,000	-	2,96,916	8,73,084
144	सीआईएलएच, मा.कू.अ.प.-इकाई, बीकानेर	आंवला		1,69,747	-	4,70,000	-	-	3,00,253	-	1,66,956	1,33,297
145	सीआईएलएच, मा.कू.अ.प.-इकाई, बीकानेर	बेल		-	-	7,95,267			6,24,908			6,24,908
146	सीआईएलएच, मा.कू.अ.प.-इकाई, बीकानेर	चिरंजी और इमली			1,70,359	7,23,012			7,23,012			7,23,012
147	सीआईएलएच, मा.कू.अ.प.-इकाई, बीकानेर	खजूर		-	-	4,40,053		4,49,947	8,90,000		5,97,418	2,92,582
148	सीआईएलएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), मा. कू.अ.प.-इकाई, बीकानेर	जामुन		-	-	5,00,364	-	1,61,251	6,61,615		1,63,811	4,97,804
149	सीआईएलएच (केन्द्रीय उष्णकटिबन्धीय बागवानी संस्थान), मा.कू.अ.प.-इकाई, बीकानेर	आंवला				3,85,653	7,601	5,06,484	8,99,738		6,37,844	2,61,894
150	सीआईएलएच (केन्द्रीय उष्णकटिबन्धीय बागवानी संस्थान), मा.कू.अ.प.-इकाई, लखनऊ	बेल		-	-	1,87,872	4,739	7,72,728	9,65,339		7,10,600	2,54,739

वार्षिक लेखा 2023-24

विद्यमान डीयूस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/ केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण												
अनुबंध-ख												
राशि रुपये में												
क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	रापसी 2023-24	2023-24 के दौरान व्यय	31-03-2024 को अंत शेष
151	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	जामुन				3,65,174		5,45,426	9,10,600			9,10,600
152	यूएसएस, धारवाड़	खुरम मोहें						8,86,700	8,86,700			8,86,700
153	सीपीसीआरआई, कर्नाटक	सुपारी			4,20,000	11,21,723		5,30,000	12,31,723			12,31,723
154	सीपीसीआरआई, भा.कृ.अ.प.-इकाई कर्नाटक	कोको				7,61,000		3,00,000	10,61,000			10,61,000
155	सीटीआरआई, भा.कृ.अ.प.-इकाई, राजभुंदरी	फलू ब्याई जलिनिया और बीड़ी				9,00,000		7,57,403	16,57,403		6,89,889	9,67,514
156	डीएसआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, गुणे	गुलाब				3,48,349	2,070	6,99,623	10,50,042		7,45,059	3,04,983
157	आईआरआई, नई दिल्ली	स्लेडियोल्स				1,52,020		7,47,778	8,99,798		5,93,488	3,06,310
158	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मंगलूर	जई और लोबिया				80,476			80,476			80,476
159	आईआरआई, फल एवं बागवानी संगम, भा.कृ.अ.प.-इकाई, नई दिल्ली	नींबू और प्यूलेरो				3,50,000			3,50,000			3,50,000
160	आईआरआई, सब्जी विज्ञान संगम, भा.कृ.अ.प.-इकाई, नई दिल्ली	मूली और गाजर				6,95,029		9,16,174	16,11,203			16,11,203
161	आईआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटपाई, कुल्हू घाटी	मूली और गाजर				6,45,000		3,00,000	9,45,000		4,63,665	4,81,335
162	आईएफजेडीबी, कोयम्बटूर	टेकनीशिया ग्रॅडिस				15,25,286		2,50,000	17,75,286		5,78,920	11,96,366
163	आईजीएक्सआरआई, भा.कृ.अ.प.-इकाई, झांसी	जई, गिरी घास				1,33,240			1,33,240			1,33,240
164	आईआईएक्सआर, बंगलुरु	सेम फली						8,20,000	8,20,000		2,75,528	5,44,472
165	आईआईएक्सआर, बंगलुरु	मैदा				4,32,936		5,44,648	9,77,584			9,77,584
166	आईआईएक्सआर, बंगलुरु	चाइना ऐस्टर				9,67,666			9,67,666		4,44,268	5,23,398
167	भा.कृ.अ.प.- एनईएच, क्षेत्रीय केन्द्र, उमियम, मेघालय	नींबू और प्यूलेरो				1,03,810			1,03,810			1,03,810
168	एआरसी, पुरुर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, काजू	काजू				95,121			95,121			95,121
169	एएकेएसएस्टी, कस्मीर श्रीनगर	राजमा				2,47,279		3,21,166	5,68,445			5,68,445
170	सीआईएसएसी (केन्द्रीय औषधीय एवं संगरोध पादप संस्थान), लखनऊ	अखगंधा				5,28,409	(1,872)		5,26,537		5,26,537	-
कुल			11,53,71,141	44,86,501	2,50,06,824	1,52,75,096	61,621	8,77,57,642	18,89,72,175	16,47,746	4,55,11,684	14,18,12,744

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी

वित्तीय सलाहकार

विपिन त्यागी

डी. के. अग्रवाल

महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा

अध्यक्ष

नए डीयूस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण											राशि रुपये में	
क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2023 को प्रारंभिक राशि	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आतिरिक्त/बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2023-24	2023-24 के दौरान व्यय	31-03-2024 को अंत राशि
1	आईआईएचआर, मा.कृ.अ.प.-इकाई, इंगलुरु	पपीता और शरीफा	3,21,860					9,17,748	12,39,608		6,23,419	6,16,189
2	पीएच (कृषक जागरूकता)	मिनी घास	7,350						7,350			7,350
3	एचएफआरआई, शिमला	शंकु, डूब	28,563						28,563			28,563
4	जेएनकजीबी (जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय), जबलपुर	लघु मोटे अनाज	38,399						38,399			38,399
5	डॉ. वाईएस. परमार बागवानी एवं वाणिज्यी विश्वविद्यालय, सोलन	कार्नेशन	7,92,517	2,26,823	2,08,931		3,288	4,65,000	8,25,051			8,25,051
6	आईआईएचआर, मा.कृ.अ.प.-इकाई, इंगलुरु	चाइना ऐस्टर	9,67,666			(9,67,666)			-			-
7	नोर्वेद बल्लभ रेंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंढरपुर	जई और लोबिया	80,476			(80,476)			-			-
8	आईजीएफआरआई, मा.कृ.अ.प.-इकाई, झांसी	जई, मिनी घास	1,33,240			(1,33,240)			-			-
9	टीएनएच, कोयंबटूर	पपीता और शरीफा	3,71,577					1,15,460	4,87,037			4,87,037
10	यूएचएस, बालकोट	मोरिंग ऑलिवेरा देम	1,55,812					4,69,188	6,25,000			6,25,000
11	आईएफजीटीबी, कोयंबटूर	डेव्होनिया ग्रॅडिस	15,25,286			(15,25,286)			-			-
12	सीआईएचएच, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	अलिया	4,70,000			(4,70,000)			-			-
13	सीआईएचएच, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	चिरौली और इमली	7,23,012			(7,23,012)			-			-
14	सीआईएचएच, मा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	बेल	1,87,872			(1,87,872)			-			-
15	सीआईएचएच, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	बेल	7,95,267			(7,95,267)			-			-
16	एचआरसी, पुरुर, मा.कृ.अ.प.-इकाई, काजू	काजू	95,121			(95,121)			-			-
17	टीएनएच, कोयंबटूर	नीम, करंज और रतनजोत	5,15,460	3,75,668				5,35,208	6,75,000		3,78,315	2,96,685
18	एसडीएच, एचके नागर, मुंदा गुजरात	खजूर	4,00,000	3,93,476					6,524	6,524		-
19	डॉ. वाईएस. परमार बागवानी एवं वाणिज्यी विश्वविद्यालय, सोलन	पिलो (सैलिस जाति)	5,59,742	1,27,792			17,951	4,46,409	8,96,310		6,32,085	2,64,225
20	आईआईएचआर, मा.कृ.अ.प.-इकाई, इंगलुरु	मैंदा	4,32,936			(4,32,936)			-			-
21	सीपीसीआरआई, मा.कृ.अ.प.-इकाई, कोको	कोको	7,61,000			(7,61,000)			-			-
22	एचआरसीएसएस, अजमेर	अजवाइन, दित, नाइजेला, अजमोद और एनीसे	6,04,347					3,00,000	9,04,347		3,42,092	5,62,255
23	डॉ. वाई एस परमार बागवानी एवं वाणिज्यी विश्वविद्यालय, सोलन	लिलियम जाति, ओरियंटल, एसियाटिक, एलए और ओटी शकर	4,27,585	2,67,054	1,20,000		16,100		56,631		52,740	3,891
24	आईएफजीटीबी, कोयंबटूर	एलिवेंस	51,078						51,078			51,078
25	आईएफजीटीबी, कोयंबटूर	रेड रैंडल और भारतीय बंदन	51,533						51,533			51,533
26	आईआईएचआर, मा.कृ.अ.प.-इकाई, इंगलुरु	जरबरा	9,65,000					3,00,000	12,65,000		3,95,003	8,69,997
27	सीटीआरआई, मा.कृ.अ.प.-इकाई, राजामंदरी	फसू ब्योर्ड जलिनिया और बीड़ी	9,00,000			(9,00,000)			-			-
28	केन्द्रीय कौफी अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक	कौफी	8,81,260			(8,81,260)			-			-
29	यूएस, धारवाड़	लोबिया	8,24,264						8,24,264		5,49,384	2,74,880
30	सीपीसीआरआई, कर्नाटक	सुमारी	11,21,723			(11,21,723)			-			-

नए डीयूएस केन्द्रों के अंतिम संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण											राशि रुपये में	
अनुबंध-ग											अंत शेष	
क्र.सं.	डीयूएस केन्द्र का नाम	उपसल	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी 2023-24	2023-24 के दौरान व्यय	31-03-2024 को अंत शेष	
31	सीआईएएच, मा.कृ.अ.प.-इकाई, शेकानेर	खजूर	4,40,053		(4,40,053)			-			-	
32	सीआईएएच (केंद्रीय शूक बागवानी संस्थान), मा.कृ.अ.प.-इकाई, शेकानेर	जामुन	5,00,364		(5,00,364)			-			-	
33	एनईएच क्षेत्र के लिए मा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़पानी	अरबी	4,93,446					4,93,446			4,93,446	
34	डॉ. वाई एस प्रसाद बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	सीवकथर्म	1,88,044				7,01,956	8,90,000			8,90,000	
35	सीआईएसएच (केंद्रीय उद्योग बागवानी संस्थान), मा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	अंबला	4,19,987		(4,19,987)			-			-	
36	सीआईएसएच (केंद्रीय उद्योग बागवानी संस्थान), मा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	जामुन	3,30,840		(3,30,840)			-			-	
37	सीआईआईएच, मा.कृ.अ.प.-इकाई, पोर्ट ब्लेयर	मूंग, लड़द,लौतिया, अरहर	6,18,535	-	(6,18,535)	-		-	-	-	-	
38	डॉ. बी.एस. कोंकण कृषि विश्वविद्यालय, दापोली	जायफल	3,23,945		(3,23,945)			-			-	
39	यूएसएस, धारवाड़	कुलथी, मोथ, ग्वार और चटरी मूली और गाजर	4,49,000					4,49,000			4,49,000	
40	आईएसआरआई, सकली शिक्षण संभाग, भा.कृ.अ.प.-इकाई, नई दिल्ली		6,95,029		(6,95,029)			-			-	
41	आईएसआरआई, फल एवं बागवानी संभाग, मा.कृ.अ.प.-इकाई, नई दिल्ली	नींबू और चमेली	3,50,000		(3,50,000)			-			-	
42	आईआईएचआर, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बैंगलुरु	-	2,16,830					2,16,830			2,16,830	
43	एसएसआरडी, नगालैंड विश्वविद्यालय	चायबल	2,05,000					2,05,000			2,05,000	
44	यूएसएस, जौकेवीक, बैंगलुरु	कटहल	10,89,920	7,76,227		7,591	9,02,116	12,23,400			12,23,400	
45	आईएसआरआई, नई दिल्ली (बिकोली)	मकांजी	1,90,237					1,90,237			1,90,237	
46	बीएसकेकेबी, दापोली	कोकम	1,37,972		(1,37,972)			-			-	
47	यूएसएस, धारवाड़	जाननदव्य, सेजले ऑफ मेस्ता	2,23,592					2,23,592			2,23,592	
48	एनईआईएएटी, जोरहाट	नींबू घास	1,00,000					1,00,000			1,00,000	
49	आईएसआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, कटराई, कुल्च घाटी	मूली और गाजर	6,45,000		(6,45,000)			-			-	
50	मा.कृ.अ.प.- एनईएच, क्षेत्रीय केन्द्र, उमियम, मेघालय	नींबू और चमेली	1,03,810		(1,03,810)			-			-	
51	एसकेएसएएटी-के, श्रीनगर (केसर)	केसर	9,00,000		(9,00,000)		9,30,000	9,30,000			9,30,000	
52	डॉ. वाई.एस. प्रसाद बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन (क्षेत्रीय केन्द्र, सिमर)	देहलिया	2,25,000					240	240		240	
53	यूएसएस, धारवाड़	(नए बीज बैंक की स्थापना)	1,24,154	30,271				93,883			93,883	
54	कृषि महाविद्यालय, विजयपुर, कर्नाटक	(नए बीज बैंक की स्थापना) (बी. ज्वार, गेहूं और अरहर)	2,46,577					2,46,577			2,46,577	
55	बीएसकेकेबी, दापोली, महाराष्ट्र	नए बीज बैंक की स्थापना	1,07,929					1,07,929			1,07,929	
56	डीएच, सबौर, भारतपुर	नए बीज बैंक की स्थापना (अनाज, दालें और सब्जियां)	2,84,982	1,12,433				1,72,549			1,72,549	
57	एनडीयूएस और टी, कुमारगंज, फैजाबाद	नए बीज बैंक की स्थापना (किसानों के खेत में उगाए गए नए बीज बैंक मसाले)	88,384					88,384			88,384	
58	यूएसएस, शिमोगा, कर्नाटक	नए बीज बैंक की स्थापना	2,31,756					2,31,756			2,31,756	
59	यूएसएस, शिमोगा	एथुरियम	1,77,728					1,77,728			1,77,728	
60	एसकेएसएएटी, श्रीनगर	काला जौरा	20,724		(20,724)		9,30,000	9,30,000	-		9,30,000	

अनुबंध-ग

नए डीयूस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण

क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित व्यय	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	राशि रुपये में
										31-03-2024 को अंत शेष
61	एन्ड्रिय डेज, बड़ामानो, नागालैंड	जीमीकंद और तारो	2,00,000						2,00,000	2,00,000
62	बीसीकेवी, कल्याणी	दहेलिया और हिबिस्कुस	3,41,280	(40,000)					3,81,280	3,81,280
63	एसीएएफ, एएयू, नक्सारी, गुजरात	समेदा और यूरोफाइला	5,06,432			(5,06,432)			-	-
64	डीएफआर, मा.कृ.अ.प.-इकाई, पुणे	गुलाब	3,48,349			(3,48,349)			-	-
65	सीआरआईएएफ, बैरकपुर	भेस्ता और रोजेले	7,72,440					12,11,678	19,84,118	19,84,118
66	आईआईएस्कार, बंगलुरु	चीकू	9,08,370		8,92,401			1,51,723	1,67,692	1,67,692
67	आईआईएस्कार, हैदराबाद	रामतिल	1,56,302					6,78,658	8,34,960	1,13,734
68	टीएनएयू, कोयम्बतूर	उड़द	10,32,800					1,89,683	12,22,483	12,22,483
69	आईआरआई, नई दिल्ली (चिकनी तोरी)	चिकनी तोरी	9,82,138						9,82,138	9,82,138
70	आईआईबीआर, वाराणसी	चिकनी तोरी	9,30,000						9,30,000	9,30,000
71	एनएयू (नक्सारी कृषि विश्वविद्यालय), गुजरात	चीकू	3,70,870						3,70,870	3,70,870
72	एएकेयूएसटी, कस्मीर	गाँद-गोभी	9,00,000		8,48,552		15,488	2,55,713	3,22,649	94,631
73	सीआईटीएच, श्रीनगर	सब्जी केली	9,00,000		7,25,303				1,74,697	1,74,697
74	यूएस - जीकेबीके, बंगलुरु	ब्राउन टॉक मिनेट	9,00,000						9,00,000	9,00,000
75	आईआरआई, नई दिल्ली	सलाद	1,10,210					7,89,790	9,00,000	21,215
76	सीएसकेएसीकेबी, पालमपुर	दाना बौलाई और कूडू	6,45,000	40,854	1,77,543			7,33,397	11,60,000	4,39,994
77	सीआईएनपी (केंद्रीय औषधीय एवं सारांश पादप संस्थान), लखनऊ	अस्फंधा	2,05,509			(5,28,409)		3,22,900	-	-
78	एएकेयूएसटी, कस्मीर श्रीनगर	चाज	2,49,975				8,185	6,50,025	9,08,185	6,24,797
79	एएकेयूएसटी, कस्मीर श्रीनगर	राजमा	2,47,279			(2,47,279)			-	-
80	एएकेयूएसटी, कस्मीर श्रीनगर	शलगम	9,00,000		7,20,582		25,090	7,05,526	9,10,034	7,83,146
81	आईआईएस्कार, बंगलुरु	गाजर	4,330						4,330	-
82	आईआईएस्कार, बंगलुरु	करी पत्ते	10,50,000		10,17,545			2,89,795	3,22,250	3,22,250
83	राष्ट्रीय लौरी अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर	अमरुद और लौरी	7,80,000					7,87,065	15,67,065	5,35,449
84	यूएस, जीकेबीके, बंगलुरु	निर्च, पैरिका और शिमला निर्च	9,00,000		4,75,977		9,737	6,39,840	10,73,600	10,73,600
85	एएकेयूएसटी, कस्मीर	नरगिस	9,00,000		6,34,437		19,650	1,64,787	4,50,000	4,50,000
86	सीआईटीएच, श्रीनगर	पुर्ण	9,00,000		5,11,653		-	1,61,556	5,49,903	3,77,906
87	आईआईएस्कार, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	ड्रैगन फल	8,93,750						8,93,750	-
88	आईआईएस्कार, मा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	एलोकंडो	8,85,000						8,85,000	-
89	आईआईबीआर, वाराणसी	मखमली बीन	3,00,000						3,00,000	3,00,000
90	यूएस - जीकेबीके, बंगलुरु	बम्बारा मूंगफली	-	-	6,65,909	9,00,000	10,228	6,55,681	9,00,000	9,00,000

नए डीयूस केन्द्रों के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण												अनुबंध-ग	
क्र.सं.	डीयूस केन्द्र का नाम	फसल	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित व्यय	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	बापसी 2023-24	2023-24 के दौरान व्यय	31-03-2024 को अंत शेष	राशि रुपये में
91	आईआईडीआर, वाराणसी	सफेद मूड़, मखैरा,कुंदरू						11,30,000	11,30,000	-	3,80,251	7,49,749	
92	आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे	अंगूर						6,16,000	6,16,000	-	-	6,16,000	
93	सीएसकेएचकेडी, पालमपुर	जौ						3,52,000	3,52,000	-	-	3,52,000	
94	जेएनकेबीबी (जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय), जबलपुर	कृषक किसे						6,16,000	6,16,000	-	-	6,16,000	
95	एसकेयूसएसटी, कस्मीर	फैपरिका और लैंड रेसेस					1,311	6,16,000	6,17,311	-	86,103	5,31,208	
96	बीएस, सबौर, भागलपुर	मखाना						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
97	सीआईएसएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	खेजरी						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
98	सीआईएसएच (केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, बीकानेर	महुआ						7,81,000	7,81,000	-	1,38,878	6,42,122	
99	सीआईएसएच (केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान), भा.कृ.अ.प.-इकाई, लखनऊ	करोंदा						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
100	सीआईएसपी (केन्द्रीय औषधीय एवं सैन्य पदार्थ संस्थान), लखनऊ	वन तुलसी					1,775	7,81,000	7,82,775	-	71,000	7,11,775	
101	टीएसयू, कोयमटूर	पास्ताइरा						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
102	आईएसआरआई, नई दिल्ली	समर स्वदेश						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
103	डीएसपीआर (औषधीय एवं संधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय), आनंद	वन तुलसी						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
104	आईआईएसआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, बंगलुरु	समर स्वदेश						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
105	एसयू, नवसारी, गुजरात	एलेनियम						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
106	एनबीजीआर, आईसीआर -यूनिट, क्षेत्रीय केन्द्र, शिमला	विनोआ						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
107	यूसएस - जीकेबीके, बंगलुरु	विनोआ						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
108	डॉ. वाईएस, परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	अलस्ट्रोलेमरिया						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
109	डॉ. वाईएस, परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	कोबी फ्रूट						7,81,000	7,81,000	-	-	7,81,000	
			4,35,38,818	15,34,371	79,99,820	(1,52,91,587)	1,36,394	2,96,64,902	4,85,14,336	1,05,485	1,02,97,353	3,81,11,498	

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी

वित्तीय सलाहकार

विपिन त्यागी

डी. के. अग्रवाल

महा-पंजीकार

विपिन त्यागी

त्रिलोचन महापात्रा

अध्यक्ष

अनुबंध-घ

संदर्भित प्रयोगशालाओं के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों को उपलब्ध राशि का विवरण

		राशि रुपये में				
क.सं.	केन्द्र का नाम	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	2023-24 के दौरान व्यय जारी	31-03-2024 को अंत शेष
1.	सीआरआरआई, कटक	49,714	-	-	-	49,714
	कुल	49,714	-	-	-	49,714

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी

वित्तीय सलाहकार

विपिन त्यागी

डी. के. अग्रवाल

महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा

अध्यक्ष

अनुबंध-ड.

फील्ड जीन बैंक के अंतर्गत संगठनों/केन्द्रों के पास उपलब्ध राशि का विवरण

क.सं.	केन्द्र का नाम	01-04-2023 को प्रारम्भिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	2023-24 के दौरान व्यय	31-03-2024 को अंत शेष
1	डॉ. बालासाहेब कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली	8,39,803	-	-	5,07,510	13,47,313	9,09,941	4,37,372
2	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली	15,91,442	-	12,53,274	9,68,120	13,06,288	-	13,06,288
3	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	19,56,845	9,60,964	10,13,748	14,19,228	14,01,361	-	14,01,361
	कुल	43,88,090	9,60,964	22,67,022	28,94,858	40,54,962	9,09,941	31,45,021

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी

वित्तीय सलाहकार

विपिन त्यागी

डी. के. अग्रवाल

महा-पंजीकार

विपिन त्यागी

त्रिलोचन महापात्रा

अध्यक्ष

अनुबंध-घ

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूरे किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2023-24 के दौरान व्यय	31-03-2024 को अंत शेष
1	आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, अंगारु, रेड्डीपल्ली, खम्मम, गैरिकापाडु, नेल्लोर, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, वारांगल	8,00,000	8,00,000					-			-
2	अपर निदेशक-एफसी, कृषि विभाग, सिक्किम 136/15	80,000						80,000			80,000
3	आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद (136/15)	2,41,819						2,41,819			2,41,819
4	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट (एएयू)	1,25,000					1,50,000	2,75,000			2,75,000
5	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (136/15)(बीएचयू)मिर्जापुर	80,000						80,000			80,000
6	बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी (बीसीकेवी)	1,270						1,270			1,270
7	विरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची (बीएयू)	99,417					80,000	1,79,417		80,000	99,417
8	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर (सीएआरआई)	1,85,192						1,85,192			1,85,192
9	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर (सीएयू)	80,000						80,000			80,000
10	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल 136/15	1,60,000					3,00,000	4,60,000			4,60,000
11	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कोयम्बतूर (सीआईसीआर)	39,600						39,600			39,600
12	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर (सीआईसीआर)	1,79,000						1,79,000			1,79,000
13	सीईओ ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा 136/15	80,000						80,000			80,000
14	बीएसकेकेवी दापोली (136/15)	1,22,941						1,22,941			1,22,941
15	चौधरी एसएसके विश्वविद्यालय, पालमपुर 136/15 (कुल्लू, कांगड़ा, सिमौर, बिलासपुर)	2,05,073					2,00,000	4,05,073		2,00,000	2,05,073
16	गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 136/15	1,14,701						1,14,701			1,14,701
17	आरएयू, बीकानेर 136/15	80,000						80,000			80,000
18	एसकेयूएसटी, राजौरी, जम्मू	2,79,976						2,79,976			2,79,976
19	बीएनएमकेवी, महाराष्ट्र	80,000						80,000			80,000
20	सीकेवी, छत्तीसगढ़ 136/15	80,000						80,000			80,000
21	आईजेकेवी, रायपुर 136/15	2,98,940						2,98,940			2,98,940
22	जेएनकेवी, जबलपुर 136/15	1,80,875						1,80,875			1,80,875
23	केबीए एवं एफएसयू बिदर	80,746						80,746			80,746
24	एमपीयू एवं टी, उदयपुर	2,23,153						2,23,153			2,23,153
25	एसवीपीयू एवं टी, मेरठ	5,14,653						5,14,653			5,14,653
26	एसडीएयू, गुजरात, 136/15	54						54			54
27	शेर-ए-कश्मीर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	12,66,421						12,66,421			12,66,421
28	यूएस रायचुर	7,20,590						7,20,590			7,20,590
29	वीबीयू, पश्चिम बंगाल, 136/15	80,000						80,000			80,000
30	एसकेआरयू, बीकानेर, अलवर	3,26,949						3,26,949			3,26,949

अनुबंध-ब

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2023-24 के दौरान व्यय	राशि रुपये में 31-03-2024 को अंत शेष
31	सीआरआईजेएफ, बैरकपुर	1,250						1,250			1,250
32	सीएसएयू एवं टी. कानपुर	3,20,043	2,96,181					23,862			23,862
33	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, मझगवान, सतना	1,02,356	1,02,356					-			-
34	कृषि निदेशालय, मेघालय, 136/15	80,000						80,000			80,000
35	सीपीआरआई, शिमला- मोदीपुरम, शिमला	1,19,093			(4,233)			1,14,860			1,14,860
36	डीएसआर इंदौर - 136/15	16,423						16,423			16,423
37	राष्ट्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र, झांसी 136/15	80,000						80,000			80,000
38	राष्ट्रीय कैला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची - 136/14	80,000	63,795		(16,205)			-			-
39	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र - 136/15	13,076					1,50,000	13,076		1,50,000	13,076
40	वीपीकेएस अल्मोड़ा	1,16,069						2,66,069		1,50,000	1,16,069
41	काजू अनुसंधान निदेशालय, दक्षिण कन्नड़	1,80,000						1,80,000			1,80,000
42	काजरी, जोधपुर	1,85,961						1,85,961			1,85,961
43	सीआईएएच, बीकानेर, पंचमहल	-					80,000	80,000	1,073	78,927	-
44	सीआईएएसएच, लखनऊ	4,78,716	4,78,716					-			-
45	सीआईटीएच, श्रीनगर	4,28,088						4,28,088			4,28,088
46	सीटीसीआरआई त्रिवेन्द्रम	4,00,000	3,75,364				1,15,003	1,39,639	24,636	1,15,003	-
47	कृषि विभाग, मिजोरम - 136/15	80,000						80,000			80,000
48	कृषि निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश 136/15	80,000						80,000			80,000
49	भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, एनईएच क्षेत्र, उमियम, मेघालय	8,00,000	8,00,000					-			-
50	भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, बड़पानी	80,000						80,000			80,000
51	आईआईवीआर, वाराणसी	1,23,166						1,23,166	1,23,166		-
52	एनबीपीजीआर, नई दिल्ली - 136/15	1,46,199						1,46,199		46,812	99,387
53	सीपीसीआरआई, कैसरगोड - 136/15	80,000						80,000			80,000
54	कृषि निदेशालय, गोवा - 136/15	12,689						12,689			12,689
55	आईसीएआर, आरसी, एनईएच क्षेत्र, उमियम, मेघालय	63,383						63,383			63,383
56	आईआईएबी, रांची - 136/15	878						878			878
57	आईआईएसआर, कालीकट - 136/15	80,000						80,000			80,000
58	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र, मेडजीफेमा	1,60,000						1,60,000			1,60,000
59	आईएआरआई, नई दिल्ली	1,50,039						1,50,039			1,50,039
60	मंगफली अनुसंधान निदेशालय, जुनागढ़, गुजरात	5,985						5,985			5,985

अनुबंध-घ

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	इस्पातरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2023-24 के दौरान व्यय	राशि रुपये में 31-03-2024 को अंत शेष
61	औषधीय एवं संगंधीय पौधा अनुसंधान निदेशालय, आनंद, गुजरात	52,069						52,069			52,069
62	एफआरआई, देहरादून 136/15	80,000						80,000			80,000
63	गोबिंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पतनगर, देहरादून	4,33,343					80,000	5,13,343			5,13,343
64	आईसीएआर अनुसंधान, पटना 136/15	80,000						80,000			80,000
65	आईजीएफआरआई, झांसी 136/15	1,60,000						1,60,000			1,60,000
66	आईआईएचआर बंगलुरु - प्रशिक्षण	80,000					-	80,000			80,000
67	आईआईएचआर बंगलुरु - सब्जी फसल प्रभाग	1,56,532						1,56,532			1,56,532
68	आईआईएसआर, कालीकट - 136/15	95,373						95,373			95,373
69	आईआईवीआर, वाराणसी	2,246						2,246			2,246
70	जेएम्, जूनागढ़ 136/15	4,10,830						4,10,830			4,10,830
71	मा.कृ.अ.य. अनुसंधान परिसर, एनईएच क्षेत्र, त्रिपुरा	80,000						80,000			80,000
72	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिपुर - कैएम्, वेल्लानिकारा, पालघाट	1,05,900						1,05,900			1,05,900
73	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय - एमएयू	60,000						60,000			60,000
74	एम्पीकेवी, राहुरी	82,471						82,471			82,471
75	नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फर्रुखाबाद, 136/15	6,02,895						6,02,895			6,02,895
76	राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केन्द्र, सिकिम	80,000						80,000			80,000
77	ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर 136/15- ओरुएटी	1,15,942						1,15,942			1,15,942
78	पीएयू, लुधियाना	16						16			16
79	पीडीकेवी, अकोला	4,36,000						4,36,000			4,36,000
80	खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग निदेशालय, तारांग	1,60,000						1,60,000			1,60,000
81	केवीके, शारदानगर बारामती 136/15	80,000						80,000			80,000
82	केवीके, जालना, 136/15	1,054						1,054			1,054
83	केवीके, धलाई - 136/15	80,000	80,000				1,50,000	1,50,000			1,50,000
84	केवीके, इरोड, टीएन 136/15	80,000						80,000			80,000
85	केवीके, कुरुनूल 136/15	79,576						79,576			79,576
86	केवीके, विवेकानंदपुरम 136/15	1,422						1,422			1,422
87	पुष्पविज्ञान निदेशालय, आईएआरआई, नई दिल्ली 136/15	80,000						80,000			80,000
88	भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	78,359						78,359			78,359
89	भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	5,27,000					80,000	5,27,000			5,27,000
90	आवीएसकेवीवी, रवालियर, 136/15	76,271						1,56,271			1,56,271

अनुबंध-घ

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2023 को प्राथमिक शेष	2022-23 को किया गया व्यय	2022-23 को आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2023-24 के दौरान व्यय	31-03-2024 को अंत शेष
91	आरएयू, पूसा, समस्तीपुर, बिहार	4,15,340					4,15,340			4,15,340
92	सचिव, विकास भारती, गुमला, झारखण्ड 136/15	182					182			182
93	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कायम्बतूर-टीएनएयू, पेच्चीपेर, कन्याकुमारी, धर्मालेशी	2,41,562					2,41,562			2,41,562
94	तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद - टीएनएयू	1,606					1,606			1,606
95	यूपी ओर एचएस, शिमोगा, कर्नाटक 136/15	10,15,623					10,15,623			10,15,623
96	यूपएस, बागलकोट 136/15	13,431					13,431			13,431
97	यूपएस, जौहीकेही, बंगलुरु	1,59,706					1,59,706			1,59,706
98	यूबीकेवी, कृष विहार, पश्चिम बंगाल 136/15	4,80,000					4,80,000			4,80,000
99	यूपएस, धारवाड - सेदपुर फार्म, बीजापुर	4,82,846					4,82,846			4,82,846
100	यूपच और एफ सौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड 136/15	1,17,112					1,17,112			1,17,112
101	डबलयूबीयूए और एफएस, कोलकाता 136/15	80,000					80,000			80,000
102	वाईएसपीएच और एफ, सोलन, चम्बा	4,93,838					4,93,838			4,93,838
103	वाईएसआर, बागवानी विश्वविद्यालय, अंध्र प्रदेश, 136/15	80,000					80,000			80,000
104	आंचलिक परियोजना निदेशालय - अंचल-11, बंगलुरु	1,490				1,50,000	1,51,490		1,50,000	1,490
105	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प., अंचल-3, कानपुर, उत्तर प्रदेश	23,414					23,414			23,414
106	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प., अंचल-2, जोधपुर	4,78,615					4,78,615			4,78,615
107	आंचलिक परियोजना निदेशालय - भा.कृ.अ.प. अंचल-9, जबलपुर	5,83,502	5,00,000				83,502	83,502		-
108	निदेशालय-कृषि, अरुणाचल प्रदेश सरकार, कार्मेग, लोअर सुबासिरी, गेकू - कोरक, अपर सुबांसीरि केवीके, पापुनपरे	4,00,000					4,00,000			4,00,000
109	एनआरसी - सूअर, रानी, गुवाहाटी - केवीके, गोलपाड़ा	80,000					80,000			80,000
110	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, नागालैंड सरकार, कोहिना, त्यूसांग	80,000					80,000			80,000
111	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, मेघालय सरकार, शिलोंग	5,60,000					5,60,000			5,60,000
112	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, सिक्किम सरकार, ग्यावा	80,000					80,000			80,000
113	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार	80,000					80,000			80,000
114	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा निदेशालय, बरेली	1,60,000					1,60,000			1,60,000
115	आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली	80,000					80,000			80,000
116	सीटीआरआई, अंध्र प्रदेश	80,000					80,000			80,000
117	सर अरविंदो ग्रामीण विकास संस्थान, गद्दीपल्ली, नलगोडा, एसएआईआरडी	80,000					80,000			80,000
118	प्रवर प्राकृतिक एवं समाज विज्ञान में अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान, अहमदनगर- पीआईआईएनएसएस	142					142			142
119	सतपुड़ा एजुकेशन सोसायटी, जलगांव, जमोद, बुरखाना	80,000					80,000			80,000
120	संत नामदेव सेवा भावी संस्था, हिंगोली	80,000					80,000			80,000

अनुबंध-व

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2023-24 के दौरान व्यय	31-03-2024 को अंत शेष
121	कृषि विज्ञान केन्द्र, लातूर - केवीकेएल	80,000						80,000			80,000
122	डॉ. हेडगवार सेवा समिति, नंदरबार	1,60,000						1,60,000			1,60,000
123	शबरी कृषि प्रविष्ठान, शोलापुर	80,000						80,000			80,000
124	निरंजक, एनएच, गुजरात - केवीके, नवसारी, नर्मदा	3,04,474						3,04,474			3,04,474
125	सोसायटी दू अपलिफ्ट रुतल इकोनोमी- स्पोर, बाड़मेर	21,447						21,447			21,447
126	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ, सनोसारा, भावनगर	32,220						32,220			32,220
127	अम्बूजा सीमेंट फाउंडेशन, कोडिनार	32,950						32,950			32,950
128	ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण केन्द्र, मोपाल - सिहोर	500						500			500
129	अध्यक्ष, केएच पाटिल कृषि विज्ञान फाउंडेशन, गदग, हुल्कोटी	38						38			38
130	अध्यक्ष, कृषिव्ययन एजेंसी फॉर रूरल पेटेनामिज़ डेवलपमेंट, तिरुवला - कोल्लम्मगोम, सीएएफआरपीडी	80,000						80,000			80,000
131	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 136/15 - एएमबीएचईटीआई	3,475						3,475			3,475
132	महालवाड़ा कृषि सहाय मंडल, औरंगाबाद, जालना	1,58,946						1,58,946			1,58,946
133	सचिव, श्री अविनाशीलिंगम उच्च शिक्षा एवं गृह विज्ञान संस्थान, कोयमटूर, विवेकानंदपुरम्, एसएआईएचईएचसी	78,578						78,578			78,578
134	कृषि निदेशालय, भारत सरकार, पणजी, दक्षिण गोवा	43,270						43,270			43,270
135	कृषि निदेशालय, पुदुचेरी	80,000						80,000			80,000
136	महासचिव, यूपीएसआई, कन्नूर, नीलगिरी	3,452						3,452			3,452
137	केएसआर तकनीकी महाविद्यालय, तिरुवैगोडे, तमिल नाडु	80,000						80,000			80,000
138	एमेटी विश्वविद्यालय, नोएडा	80,000						80,000			80,000
139	यूएस, बंगलुरु	4,30,000						4,30,000			4,30,000
140	निदेशक, बायोवेद कृषि एवं तकनीकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	80,000						80,000			80,000
141	अध्यक्ष, नवभारत शिक्षा एवं सामाजिक अनुसंधान संस्था	80,000						80,000			80,000
142	एनबीआरआई, लखनऊ	63,795			16,205			80,000			80,000
143	भगवत भक्ति आश्रम	80,000						80,000			80,000
144	एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट, नया मधुबनी	80,000						80,000			80,000
145	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, रांची	18,194						18,194			18,194
146	उम आयुक्त एवं अध्यक्ष, सुजानी	1,240						1,240			1,240
147	श्री रामकृष्ण सेवा केन्द्र, कोलकाता, पश्चिम त्रिपुरा	80,000						80,000			80,000
148	इलाहाबाद कृषि मानद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	80,000						80,000			80,000
149	केआरवीएस शिक्षा सोसायटी, लखनऊ	80,000						80,000			80,000
150	श्री हनुमंतराय शिक्षा एवं धर्मार्थ सोसायटी, केवीके, कुरनूर	80,000						80,000			80,000

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया व्यय	2022-23 को किया गया व्यय	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2023-24 के दौरान व्यय	राशि रुपये में 31-03-2024 को अंत शेष
151	डॉ. वाईयूएसएसयू, येंकटरामनगुडे	80,000						80,000			80,000
152	नियंत्रक, टी एस कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	80,000						80,000			80,000
153	गोखले एजुकेशन सोसायटी, प्राचार्य, टी ए कुलकर्णी, विधानगर, नासिक	80,000						80,000			80,000
154	अध्यक्ष, सुविदे फाउंडेशन, वाशिम	50						50			50
155	एसके एनएयू, जोबनेर	1,71,560						1,71,560			1,71,560
156	कृषि विश्वविद्यालय, मंदौर, जोधपुर	1,60,000						1,60,000			1,60,000
157	नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	88,303						88,303			88,303
158	सचिव, आईएसवीएस, वाराणसी	80,000						80,000			80,000
159	कृषि विज्ञान केन्द्र, नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमाही	80,000						80,000			80,000
160	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, भा.कृ.अ.प.-केवीके, पाठनसिन्धु	79,858						79,858			79,858
161	सचिव, इंडियन सोसायटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन	80,000						80,000			80,000
162	इंडियन सोसायटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग	80,000						80,000			80,000
163	इंडियन सोसायटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग	80,000						80,000			80,000
164	सचिव, इंडियन एशोसिएशन ऑफ हिल फार्मिंग	80,000						80,000			80,000
165	सोसायटी फॉर कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट	80,000						80,000			80,000
166	आईएसपीआरडी-पीयूएलएसआईएम, कानपुर	80,000						80,000			80,000
167	आईएसएसडब्ल्यूसी, देहरादून	3,20,000						3,20,000			3,20,000
168	पीजेटीएसएसयू, हैदराबाद	48,224						48,224			48,224
169	शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	2,00,000						2,00,000			2,00,000
170	आंचलिक परियोजना, निदेशक, भा.कृ.अ.प., अंचल-4, पटना, बिहार	4,22,068					4,00,000	8,22,068		4,00,000	4,22,068
171	इंडियन सोसायटी ऑफ सीड टैक्नोलॉजी, इम्फाल कैम्पस	1,60,000						1,60,000			1,60,000
172	उत्तर प्रदेश अनुसंधान एसोसिएशन, इलाहाबाद	80,000						80,000			80,000
173	आईएसआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर	80,000						80,000			80,000
174	कार्यक्रम समन्वयक केवीके देवमाली	-					80,000	80,000		80,000	-
175	स्वामी विवेकानन्द, सुभाषी विश्वविद्यालय	-					1,50,000	1,50,000		1,50,000	-
176	राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक	-			-		2,25,000	2,25,000	12,414	2,12,586	-
177	अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे	-				508	1,50,000	1,50,508		69,262	81,246
178	दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सतना						1,50,000	1,50,000		1,50,000	-
179	डीएफआर, भा.कृ.अ.प.-इकाई, पुणे						80,000	80,000	7,518	72,482	-
180	आईआईपीआर (भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान), कानपुर						1,25,000	1,25,000		1,15,059	9,941

अनुबंध-घ

प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए संगठन/केन्द्रों को अनुदान का विवरण

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2023 को प्रारंभिक शेष	2022-23 के पूर्व किया गया खच	2022-23 को किया गया खच	हस्तांतरण आंतरिक/ बाह्य	अर्जित ब्याज	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 में उपलब्ध कुल निधि	वापसी	2023-24 के दौरान खच	31-03-2024 को अंत शेष
181	केवीके ईस्ट कमांग						80,000	80,000	80,000		-
182	प्रो राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज						1,50,000	1,50,000			1,50,000
183	आर एस एम कॉलेज, बिजनौर						1,50,000	1,50,000		1,50,000	-
184	गन्ना प्रजनन संस्थान, भा.कृ.अ.प.-यूनिट, कोयम्बतूर						1,00,000	1,00,000		1,00,000	-
	कुल	2,72,98,134	34,96,412	-	(4,233)	508	33,75,003	2,71,73,000	3,32,309	23,20,131	2,45,20,560

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी

वित्तीय सलाहकार

विपिन त्यागी

डी. के. अग्रवाल

महा-पंजीकार

वि. स. डा. पा. डा.

त्रिलोचन महापात्रा

अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

अनुबंध छ

बाह्य विभाग को अग्रिम

राशि रुपये में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2023 को आरंभिक शेष	2023-24 के दौरान जारी	2023-24 के दौरान व्यय	31-03-2024 को अंत शेष
1	एग्रिकल्चर साइन्स कांग्रेस	-	5,00,000	-	5,00,000
2	एग्रे विजन फाउंडेशन	-	95,580	-	95,580
3	निदेशक, जीपीओ, नई दिल्ली	-	2,00,000	2,00,000	-
4	निदेशक आईएआरआई, नई दिल्ली	80,000	-	-	80,000
5	एएयू जोरहट	-	5,00,000	-	5,00,000
6	आईआईएचआर बैंगलोर	-	4,88,354	4,88,354	-
7	इंडियन सोसायटी ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सज	-	3,00,000	3,00,000	-
8	यूएचएस शिवमोगा	23,00,796	-	23,00,796	-
9	अचीवर्स फाउंडेशन	-	1,91,160	1,91,160	-
10	जिओस्पटियल दिल्ली लिमिटेड	-	3,65,215	3,65,215	-
11	आईबीबीएसी नयी दिल्ली	-	2,00,000	2,00,000	-
12	एमएसएसआरएफ, चेन्नई	-	3,00,000	-	3,00,000
13	एनआरसी त्रिची	-	3,00,000	3,00,000	-
14	प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया	-	2,50,000	2,50,000	-
15	प्रयास ईवेंट्स एंड एक्सबिशन	-	3,50,460	3,50,460	-
16	सिलिकॉन कॉमनेट प्राइवेट लिमिटेड	5,354	-	5,354	-
17	सोसायटी फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल	-	2,50,000	-	2,50,000
18	सोसायटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट	-	50,000	50,000	-
19	विजुयल मीथस	-	1,52,928	1,52,928	-
	कुल	23,86,150	44,93,697	51,54,267	17,25,580

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

अनुबंध-ज

अदा की गई सांविधिक देयताएं

क्रमांक	विवरण	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	राशि रुपये में
1	सीजीईजीआईएस	1,190	1,045	1,680	1,045	1,045	1,045	1,045	960	240	1,680	960	-	11,935
2	सीजीएचएस	5,123	1,000	11,200	9,200	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	9,200	9,200	-	87,673
3	जीपीएफ	1,58,320	1,20,826	1,20,826	1,20,826	1,20,826	1,20,826	1,20,826	83,326	83,326	83,326	68,585	-	12,01,839
4	टीडीएस - ठेकेदार	71,536	-	38,649	41,625	40,235	41,652	67,378	1,17,948	1,38,508	1,58,905	54,070	67,729	8,38,235
5	टीडीएस - व्यावसायिक	50,466	-	41,970	39,005	49,253	41,970	31,500	56,529	50,040	2,86,381	60,359	35,933	7,43,406
6	टीडीएस - वेतन	2,95,000	2,95,000	3,75,500	3,75,500	3,75,500	4,15,500	4,15,500	4,15,500	4,08,855	3,92,500	3,71,000	3,93,396	45,28,751
7	एनपीएस	1,28,529	1,12,789	3,38,367	1,16,214	1,16,214	1,16,214	1,29,308	1,19,486	1,19,486	1,30,594	1,27,312	-	15,54,513
8	जीएसटी पर टीडीएस	70,957	59,300	36,508	36,320	38,238	43,386	53,874	62,850	1,14,584	4,15,650	41,364	51,458	10,24,489
	नियोजिता का एनपीएस में													
9	अंशदान	1,57,908	1,57,908	1,57,908	1,62,700	1,62,700	1,62,700	1,81,029	1,67,280	1,67,280	1,82,830	1,78,236	1,92,885	20,31,364
10	प्रतिलोम शुल्क जीएसटी	7,608	8,026	6,570	9,388	7,320	8,070	11,150	55,554	8,164	10,882	30,960	8,920	1,72,612
11	टीडीएस - किराया	-	-	-	-	-	25,200	-	-	51,200	-	24,220	57,370	1,57,990
	कुल	9,46,637	7,55,894	11,29,178	9,11,823	9,19,881	9,85,113	10,20,160	10,87,983	11,50,233	16,71,948	9,66,266	8,07,691	1,23,52,807

विपिन टागोरी

विपिन त्यागी

वित्तीय सलाहकार

विपिन टागोरी

डी. के. अग्रवाल

महान-पंजीकार

नि. सहाय

त्रिलोचन महापात्रा

अध्यक्ष

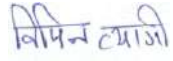
वार्षिक लेखा 2023-24

अनुबंध-झ

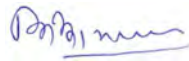
अन्य प्रेषण

राशि रुपये में

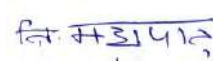
क.सं.	विवरण	राशि
1	लाइसेंस शुल्क	1,06,276
	कुल	1,06,276



विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार



डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

अनुबंध-अ

स्टाफ को अग्रिम

राशि रुपये में

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	01-04-2023 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	वर्ष के दौरान समायोजित व्यय	धन वापसी की प्राप्ति	31-03-202 4 को अंतशेष
1	डीडीओ	-	3,24,097	2,69,347	54,750	-
2	श्री दीपल रॉय चौधरी	-	71,268	63,570	49	7,649
3	श्री अरविंद कुमार राय	-	40,000	19,900	20,100	-
4	श्री आर एस सेंगर	-	46,144	18,192	27,952	-
5	श्री धर्मेन्द्र सिंह पिलानिया	-	2,06,389	1,71,674	34,715	-
6	डॉ. दिनेश कुमार अग्रवाल	-	30,342	30,342	-	-
7	श्री डी एस राज गणेश	-	89,738	33,538	56,200	-
8	श्री उमा कांत दुबे	-	1,80,000	77,734	1,02,266	-
9	श्री नितेश कुमार वर्मा	-	25,800	16,124	9,676	-
10	श्री विवेक सेंगर	-	33,019	33,019	-	-
	कुल	-	10,46,797	7,33,440	3,05,708	7,649

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डि. के. अग्रवाल

डि. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

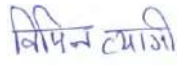
त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

वार्षिक लेखा 2023-24

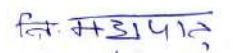
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि खाता
31 मार्च 2024 को तुलन पत्र

राशि रुपये में

देयताएं	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
सामान्य भविष्य निधि खाता				
प्रारंभिक शेष	-		50,50,830	
जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिदान	-		5,50,000	
जोड़ें :जमा किया गया ब्याज	-		1,67,133	
घटाए : अग्रिम/निकासी	-	-	57,67,963	-
एनपीएस टियर- 2		-		-
आधिक्य /(घाटा)				
प्रारंभिक शेष	7,75,366		2,05,454	
जोड़ें: व्यय पर आय की अधिकता	-		5,69,912	
घटाए : प्रधान कार्यालय को अंतरण	7,75,366	-	-	7,75,366
कुल		-		7,75,366
परिसम्पत्तियां				
निवेश		-		-
सावधि जमा		-		-
सावधि जमा खाते पर अर्जित ब्याज		-		-
प्राधिकरण से प्राप्त ब्याज		-		54,870
बैंक शेष		-		
बचत खातों पर		-		7,20,496
कुल		-		7,75,366
प्रमुख लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां संलग्न हैं				


विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार


डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार


त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली
दिनांक: 20 जून, 2024

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि खाता
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

राशि रुपये में

आय	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
अर्जित ब्याज				
— निवेश पर	-		-	
—सावधि जमा खाते पर	-		1,10,449	
—बचत खातों पर	-		13,211	
—अन्य (प्राधिकरण से)	-	-	54,870	1,78,530
अपलिखित देयता		-		5,58,846
कुल (क)		-		7,37,376
व्यय				
सामान्य भविष्य निधि में जमा ब्याज		-		1,67,133
एनपीएस टियर- 2 खाता		-		-
बैंक शुल्क		-		331
कुल (ख)		-		1,67,464
शेष आय का व्यय पर आधिक्य (क-ख)		-		5,69,912
तुलन पत्र तक ले जाई गई अधिशेष राशि (घाटा)		-		5,69,912
प्रमुख लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां संलग्न है				

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 20 जून, 2024

वार्षिक लेखा 2023-24

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
सामान्य भविष्य निधि खाता
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां	राशि रुपये में				
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	भुगतान	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष			जीपीएफ निकासी	-	52,09,117
बैंक शेष			एनपीएस टियर- 2 खाता	-	-
—बचत खातों में	7,20,496	568	प्रधान कार्यालय को अंतरण	7,20,496	-
जीपीएफ अंशदान	-	5,50,000	बैंक शुल्क	-	331
स्थायी जमा का नकदीकरण	-	52,13,277	अंत शेष		
			बैंक शेष		
			—बचत खातों में	-	7,20,496
प्राप्त ब्याज					
—स्थायी जमा पर	-	1,19,374			
—बचत खाते पर	-	13,211			
—अन्य (प्राधिकरण से)	-	33,514			
एनपीएस टियर- 2 खाता	-	-			
कुल	7,20,496	59,29,944	कुल	7,20,496	59,29,944

विपिन त्यागी

विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार

डी. के. अग्रवाल

डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार

त्रिलोचन महापात्रा

त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 20 जून, 2024

वार्षिक लेखा 2023-24

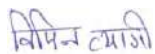
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि और नेशनल पेंशन योजना खातों पर प्रमुख लेखा नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ

अ. लेखा नीतियाँ

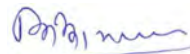
1. पात्र कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि का रखरखाव सामान्य भविष्य निधि नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
2. अभिदाताओं को देय ब्याज दर भारत सरकार के मानदंड के अनुसार है।
3. सामान्य भविष्य निधि के खाते अर्जन आधार पर तैयार किये गये हैं।
4. पात्र कर्मचारियों से भविष्य निधि का अभिदान मासिक आधार पर प्रधान कार्यालय में वेतन से काटा जाता है।
5. ब्याज में अंतर की राशि प्राधिकरण के द्वारा वहन की जाती है (अर्थात् अभिदाता को देय ब्याज और किए गए निवेश/जमा से प्राप्त राशि)।
6. सहायक रिकॉर्ड अर्थात् अभिदाता का खाता, खाता विवरण आदि का रखरखाव प्रधान कार्यालय में किया जाता है।
7. जीपीएफ संचय से किए गए निवेश को लागत मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।
8. नेशनल पेंशन योजना का अंशदान मासिक आधार पर प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों के वेतन से काट लिया जाता है और नियोक्ता के हिस्से के साथ नेशनल पेंशन योजना प्राधिकारी के पास जमा करा दिया जाता है।

ब. लेखों पर टिप्पणियाँ

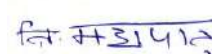
1. जीपीएफ की राशि को बैंक में स्थायी जमा के रूप में रखा जाता है और उसे लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है। सभी स्थायी जमा वर्ष 2022-23 में परिपक्व हो गयी थी।
2. भविष्य निधि बैंक खाता केनरा बैंक, एनएएससी कॉम्प्लेक्स शाखा, नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय में रखा गया है। वर्ष 2022-23 में जीपीएफ के सभी अभिदाताओं को समस्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया था, शेष राशि (बैंक खाते सहित) को वर्ष 2023-24 के दौरान प्राधिकरण को अंतरित कर दिया गया है।
3. चूंकि भविष्य निधि खाता और नेशनल पेंशन योजना खाता प्राधिकरण के कोष का हिस्सा नहीं है बल्कि इनका स्वामित्व कोषों के सदस्यों के पास है न की प्राधिकरण के पास, इसलिए इन्हें अलग से दिखाया गया है। भविष्य निधि खातों और नेशनल पेंशन योजना के लिए प्राप्त और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता (अर्जन आधार पर) और वर्ष 2023-24 के लिए तुलन पत्र प्राधिकरण के खातों के साथ संलग्न है।
4. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।
5. लेखांकन नीतियां और खातों पर टिप्पणियाँ खातों का एक अभिन्न अंग हैं।



विपिन त्यागी
वित्तीय सलाहकार



डी. के. अग्रवाल
महा-पंजीकार



त्रिलोचन महापात्रा
अध्यक्ष

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक: 20 जून, 2024

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआर) पर 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) जिसे पीपीवी एंड एफआर अधिनियम, 2001 की धारा 62(2) के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एंड एफआर) के संलग्न तुलन पत्र और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में पीपीवीएंडएफआर की पाँच ईकाई/शाखाओं अर्थात् रांची, गुवाहाटी, पालमपुर, शिवमोगा और पुणे के खाते शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व पीपीवी एंड एफआर के प्रबंध का है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन रीतियाँ, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण इत्यादि के मानदंडों से अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ विनिर्दिष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमनिष्ठता) के अनुपालन में वित्तीय लेन-देन और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि पर लेखा अवलोकन, यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदन/ सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्य: मान्य लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में अपेक्षा है कि हम अपने लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएँ और इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें तार्किक आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणियाँ वस्तुपरक अशुद्ध वर्णन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि के समर्थन में साक्ष्यों और प्रकटनों का परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल होता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए प्रयुक्त सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें इस बात पर विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा में हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

(i) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, रिपोर्ट में अवलोकन के अधीन, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ii) इस प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय द्वारा बताए गए समान प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में पीपीवीएंडएफआर के द्वारा उपयुक्त लेखाबहियाँ और अन्य संबन्धित रिकार्ड रखे गए हैं जो पीपीवीएंडएफआर अधिनियम, 1962 की धारा 62(1) के अनुसार अपेक्षित हैं, जो ऐसी बहियों की हमारी जांच से देखने में आया है।

(iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि:-

क. सामान्य

रुपये 8.78 करोड़ की राशि मौजूदा डीयूएस केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों आदि को जारी की गयी है, हालांकि अधिकांश डीयूएस केंद्रों ने वर्ष 2023-24 के दौरान कोई व्यय नहीं किया था। इसके अलावा अधिकांश केंद्रों ने उनके द्वारा प्राप्त ब्याज का उल्लेख नहीं किया और इसे खातों में भी नहीं दिखाया गया है।

यह टिप्पणी वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जारी की गई थी। तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. अनुदान

प्राधिकरण के द्वारा रुपए 38.52 करोड़ (राजस्व अनुदान- रुपए 33.71 करोड़ और पूंजीगत अनुदान - रुपए 4.81 करोड़) का अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया है और 1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक शेष रुपए 2.57 करोड़ (राजस्व अनुदान) था। कुल रुपए 41.09 करोड़ की राशि में से प्राधिकरण ने रुपए 33.22 करोड़ की राशि का प्रयोग किया है (रुपए 28.72 करोड़ राजस्व व्यय + रुपए 4.50 करोड़ पूंजीगत व्यय)। इस प्रकार कुल 41.09 करोड़ के अनुदान के विरुद्ध रुपए 33.22 करोड़ का कुल व्यय हुआ है, शेष अप्रयुक्त अनुदान रुपए 7.87 करोड़ (राजस्व अनुदान- रुपए 7.56 करोड़ और पूंजीगत अनुदान - रुपए 0.31 करोड़) है।

ग. प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल न की गयी कमियाँ अध्यक्ष के ध्यान में अलग से प्रबंधन पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी कर दी गयी है।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकनों के अध्यक्ष हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन में तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा लेखाबहियों के अनुसार हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यक्ष लेखांकन नीतियाँ और लेखा-टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियाँ भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्वरूप दर्शाते हैं।

क. जहां तक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के मामलों के तुलन पत्र से संबंधित हैं ; और

ख. जहां तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष आय एवं व्यय लेखा से संबंधित हैं।

अस्वीकरण : प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य हो।

भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के लिए और कि ओर से

स्थान : नयी दिल्ली
दिनांक: 13.09.2024

(संदीप लाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण का अलग से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है और वर्ष 2023-24 की आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फ़र्म के द्वारा की गयी है ।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण निम्न क्षेत्रों में कमजोर है और उसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है ।

(i) आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य भुगतान और लेखा कार्यालय के द्वारा नहीं की गयी है । लेकिन इसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के द्वारा किया गया है ।

(ii) प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न संगठनों/संस्थानों अर्थात् वर्तमान और नये डीयूएस केंद्र, फ़िल्ड जीन बैंक, प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि को दिये गए रुपए 20.76 करोड़ के अनुदान/अग्रिम के संबंध में 31 मार्च, 2024 को उपयोग प्रमाण पत्र अदत्त है । विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रम संख्या	विषय	अदत्त उपयोग प्रमाण पत्र (रुपयों में)
1	वर्तमान डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान	14,18,12,744
2	नए डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान	3,81,11,498
3	संदर्भ प्रयोगशालाओं को जारी अग्रिम	49,714
4	फील्ड जीन बैंक	31,45,021
5	प्रशिक्षण केंद्र	2,45,20,560
	कुल	20,76,39,537

3. स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2023-24 के लिए स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई महत्वपूर्ण अनियमितता सूचित नहीं की गयी है ।

4. वस्तुओं के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

मार्च 2024 तक स्टेशनरी, पुस्तकों और उपभोग्य सामाग्री इत्यादि का भौतिक सत्यापन किया गया है और कोई महत्वपूर्ण अनियमितता सूचित नहीं की गयी है ।

5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमिता

यथा 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार छह माह से ऊपर का कोई भुगतान वैधानिक देयताओं के संबंध में शेष नहीं है ।

वार्षिक लेखा 2023-24

वर्ष 2023-24 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में उत्तर

लेखापरीक्षा का अवलोकन	प्रबंधकीय उत्तर
क. सामान्य रुपये 8.78 करोड़ की राशि मौजूदा डीयूएस केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों आदि को जारी की गयी है, हालांकि अधिकांश डीयूएस केंद्रों ने वर्ष 2023-24 के दौरान कोई व्यय नहीं किया था। इसके अलावा अधिकांश केंद्रों ने उनके द्वारा प्राप्त ब्याज का उल्लेख नहीं किया और इसे खातों में भी नहीं दिखाया गया है। यह टिप्पणी वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जारी की गई थी। तथापि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	रुपए 8.78 करोड़ की राशि वर्तमान डीयूएस केन्द्रों को 2023-24 के दौरान जारी की गयी थी। हमारे द्वारा अधिकतर मामलों में डीयूएस केन्द्रों से वर्ष 2023-24 के लिए जारी राशि के विरुद्ध उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए थे। लेकिन कुछ मामलों में उपयोग प्रमाण पत्र वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद प्राप्त हुए थे, जिनके लिए लेखा पुस्तकों में प्रावधान किया गया है। जहां तक उपयोग प्रमाण पत्र में ब्याज को शामिल करने का प्रश्न है इसके लिए केन्द्रों को पत्र भेजे गए थे। जहां पर केन्द्रों के द्वारा इस विषय में जानकारी प्रदान की गयी है उसे लेखा पुस्तकों में दिखाया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान रुपए 1,25,547/- की राशि केन्द्रों से प्राप्त ब्याज के रूप में दिखाई गयी है। कुछ मामलों में, केंद्रों के पास चालू खाता है जिसमें उनके द्वारा कोई ब्याज अर्जित नहीं किया जाता है। कुछ केन्द्रों के द्वारा इस बारे में प्रमाण पत्र दिया गया है की उनके द्वारा कोई ब्याज अर्जित नहीं किया गया है। इस विषय पर वर्ष 2024-25 में पुनः केन्द्रों के साथ चर्चा की जाएगी। प्रबंध के द्वारा इस बारे में केन्द्रों के साथ चर्चा की जा रही है और इस विषय में सभी उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रुपए 1,20,740/- और रुपए 1,32,795/- की राशि केन्द्रों से प्राप्त ब्याज के रूप में खातों में दिखाई गयी है।
अनुबंध	
1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता प्राधिकरण का अलग से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है और वर्ष 2023-24 की आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फ़र्म के द्वारा की गयी है।	मानवीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण अलग से आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं बनाया गया है। वित्त विभाग में केवल एक ही अधिकारी है जिसके द्वारा वित्त विभाग के समस्त कार्य किए जाते हैं।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता आंतरिक नियंत्रण निम्न क्षेत्रों में कमजोर है और उसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है ।			
(i) आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य भुगतान और लेखा कार्यालय के द्वारा नहीं की गयी है । लेकिन इसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के द्वारा किया गया है ।			मुख्य भुगतान और लेखा अधिकारी के द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा प्राधिकरण के नियंत्रण में नहीं है। अंकेक्षण टीम का नामांकन पूर्ण रूप से नियंत्रक मंत्रालय पर निर्भर करता है । इसलिए, मुख्य भुगतान और लेखा अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी है । हालाँकि, वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म के द्वारा की गई है जो लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं । अतः प्राधिकरण की दृष्टि में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई कमजोरी नहीं है। हालाँकि, अंकेक्षण टीम से अनुरोध है कि वे उन क्षेत्रों के विषय में सुझाव दें जहाँ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ।
(ii) प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न संगठनों/संस्थानों अर्थात् वर्तमान और नये डीयूएस केंद्र, फील्ड जीन बैंक, प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि को दिये गए रुपए 20.76 करोड़ के अनुदान/अग्रिम के संबंध में 31 मार्च, 2024 को उपयोग प्रमाण पत्र अदत्त है । विवरण नीचे दिया गया है :-			डीयूएस केन्द्रों , संदर्भ प्रयोगशाला, फील्ड जीन बैंक, प्रशिक्षण और जागरूकता आदि के उद्देश्य से संगठनों और संस्थानों को जारी किए गए अनुदानों के विरुद्ध उपयोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के लिए संबन्धित विभाग के द्वारा टेलीफोन पर चर्चा के साथ-साथ ई-मेल संदेश भेजकर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ताकि उपयोग प्रमाणपत्रों या अप्रयुक्त राशि की वापसी को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके । केन्द्रों के पास उपलब्ध शेष राशि को समायोजित करने के बाद ही आगामी अनुदान की राशि जारी की जाती है । कुछ मामलों में वर्ष 2023-24 के वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं ।
क्रम संख्या	विषय	अदत्त उपयोग प्रमाण पत्र (रुपयों में)	
1	वर्तमान डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान	14,18,12,744	
2	नए डीयूएस को जारी अग्रिम/अनुदान	3,81,11,498	
3	संदर्भ प्रयोगशालाओं को जारी अग्रिम	49,714	
4	फील्ड जीन बैंक	31,45,021	
5	प्रशिक्षण केंद्र	2,45,20,560	
	कुल	20,76,39,537	

दिनांक 03 दिसंबर 2024 पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ,नई दिल्ली की 39वीं बैठक में एजेंडा क्रम सं 08 में वार्षिक लेखा 2023 -24 को स्वीकार किया गया।



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

प्लांट अथॉरिटी भवन, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, एनएएससी कॉम्प्लेक्स के पास,
टोडापुर गांव के सामने, नई दिल्ली -110 012

फोन : 011-25848127, 25843316

www.plantauthority.gov.in